लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

..MMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड ३०, १९६४/१८८६ (शक)

Volume XXX, 1964 / 1886 (Saka)

[१५ से २८ अप्रैल, १९६४/२६ चैत्र से ८ वैशाख, १८८६ (शक)]

15th to 28th April, 1964/ Chaitra 26 to Vaisakha 8, 1886 (Saka)

Preservation Unit
21-3-...
Fumigated
On 11.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८६ (शक)

Seventh Session, 1964/1886 (Saka)

(खण्ड ३० में अंक ५१ से ६० तक हैं)

(Volume XXX contains Nos. 51 to 60)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

625 (Ai) LSD—1.

विषय-सूची

अंक ५३—शुक्रवार, १७ अप्रैल, १९६४/२८ चैत्र, १८८६ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१०८८	राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम	४०३९—४१
१०८९	ट्रैक्टरों का निर्माण	४०४१—४३
१०९१	सरकारी उपक्रमों में भरती के नियम	४०४३—४५
१०९२	भू-विज्ञान सम्बन्धी नक्शों की चोरी	४०४६-४७
१०९३	अनधिकृत बिजली करघों की गणना	४०४७—४९
१०९४	कलकत्ता के लोहा और इस्पात नियंत्रक कार्यालय में छंटनी	४०४९-५०
१०९५	सीमेंट अनुसन्धान संस्था	४०५१—५३
१०९६	चश्मों के कांच का निर्माण	४०५३-५४
१०९८	रांची की भारी इंजीनियरी सामान परियोजनायें	४०५४—५७
११००	सरकारी क्षेत्र के उद्योग	४०५७—५९
११०१	छोटे पैमाने के उद्योग के लिए मशीनों का आयात	४०५९—६१
११०२	केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन	४०६१—६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
१०९०	लाख का निर्यात	४०६३-६४
१०९७	बाल बेयरिंगों का निर्माण	४०६४
१०९९	निर्वाचन अनर्हता का वापस लिया जाना	४०६४
११०३	राज्य व्यापार निगम	४०६४-६५
११०४	केन्द्रीय रेशम अनुसन्धान संस्था	४०६५
११०५	केरल में ग्राम चुनाव	४०६६
११०६	आर्थिक विकास के लिए कुवैत के साथ करार	४०६६
११०७	उत्पादन प्रोत्सहान बोनस योजना	४०६६-६७
११०८	न्यूयार्क विश्व मेला	४०६७

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

CONTENTS

No. 53—Friday, April 17, 1964/Chaitra 28, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*Starred Questions Nos.	Subject	Page
1088	National Industrial Development Corporation	4039—41
1089	Manufacture of Tractors	4041—43
1091	Recruitment Rules in Public Undertakings	4043—45
1092	Theft of Geological Maps	4046-47
1093	Census of Unauthorised Powerlooms	4047—49
1094	Retrenchment in Iron and Steel Controller's Office, Calcutta	4049-50
1095	Cement Research Institute	4051—53
1096	Opthalmic Glass Manufacture	4053-54
1098	Heavy Engineering Projects at Ranchi	4054—57
1100	Public Sector Industries	4057—59
1101	Import of Machinery for Small Scale Industry	4059—6
1102	Translation and Publication of Central Acts in Hindi	4061—63

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Questions Nos.		
1090	Lac Export	4063-64
1097	Manufacture of Ball Bearings	4064
1099	Withdrawal of Election Disqualification	4064
1103	State Trading Corporation	4064-65
1104	Central Silk Research Institute	4065
1105	General Elections in Kerala	4066
1106	Agreement with Kuwait for Economic Development	4066
1107	Production Incentive Bonus Scheme	4066-67
1108	New York World Fair	4067

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२२५८	उड़ीसा में दस्तकारी उद्योग . . .	४०६८
२२५९	निर्धनों को कानूनी सहायता	४०६८–६९
२२६०	सूत का उत्पादन	४०६९
२२६१	कपड़े का मूल्य	४०६९–७०
२२६२	कपड़ा उद्योग में रोज़गार	४०७०
२२६३	मुद्रण उद्योग	४०७१
२२६४	आसाम में सीमेंट के कारखाने	४०७१
२२६५	रुरकेला इस्पात संयंत्र . . .	४०७१
२२६६	न्यूज़ीलैंड का अंतर्राष्ट्रीय मेला . .	४०७२
२२६७	लाहौल और स्पिती के ऊन व्यापारी . . .	४०७२
२२६८	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बम्बई . . .	४०७३
२२६९	विदेशों में भारत के प्रदर्शन-कक्ष तथा व्यापार केन्द्र .	४०७३
२२७०	नरम इस्पात की चादरें . . .	४०७३–७४
२२७१	मैसूर राज्य में लौह अयस्क का निक्षेप . . .	४०७४
२२७२	एक समान व्यवहार संहिता	४०७४–७५
२२७३	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग . . .	४०७५
२२७४	चिकनाई का असर न होने वाले कागज का निर्माण .	४०७५–७६
२२७५	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोयला धोने का कारखाना .	४०७६
२२७६	भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिये उत्पादन बोनस .	४०७६–७७
२२७७	एकस्व समिति	४०७७
२२७८	मिर्जापुर जिले में भूतत्वीय सर्वेक्षण . . .	४०७७
२२७९	लाख का निर्यात मूल्य	४०७७–७८
२२८०	संगमरमर और लौह अयस्क के निक्षेप . . .	४०७८
२२८१	उत्तर प्रदेश में कपड़े का उत्पादन . . .	४९७८
२२८२	लघु उद्योग निगम	४०७९
२२८३	पंजाब के लिए लोहा तथा इस्पात . . .	४०७९
२२८४	उड़ीसा में कांच की वस्तुओं का निर्माण . . .	४०८०
२२८५	उड़ीसा में लघु उद्योग	४०८०
२२८६	उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां . .	४०८०–८१

Unstarred Questions Nos.	Subject	Page
2258	Handicrafts Industry in Orissa	4068
2259	Legal Assistance to the Poor	4068-69
2260	Cotton Yarn Production	4069
2261	Prices of Cloth	4069-70
2262	Employment in Textile Industry	4070
2263	Printing Industry	4071
2264	Cement Factories in Assam	4071
2265	Rourkela Steel Plant	4071
2266	International Trade Fair in New Zealand	4072
2267	Wool Traders of Lahaul and Spiti	4072
2268	International Trade Fair, Bombay	4073
2269	India's Show Rooms and Trade Centres Abroad	4073
2270	Mild Steel Sheets	4073-74
2271	Iron Ore Deposit in Mysore State	4074
2272	Uniform Civil Code	4074-75
2273	Small Scale Industries in U.P.	4075
2274	Grease-poof Paper Manufacture	4075-76
2275	Coal Washery at Durgapur Steel Plant	4076
2276	Production Bonus for Bhilai Steel Plant Employees	4076-77
2277	Committee on Patents	4077
2278	Geological Survey in Mirzapur Distt.	4077
2279	Export Price of Lac	4077-78
2280	Marble and Iron Ore Deposits	4078
2281	Cloth Production in U.P.	4078
2282	Small Scale Industries Corporation	4079
2283	Iron and Steel for Punjab	4079
2284	Manufacture of Glass in Orissa	4080
2285	Small Scale Industries in Orissa	4080
2286	Industrial Cooperative Societies in Orissa	4080-81

विषय	पृष्ठ
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	४०८१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	४०८१—८२
दक्षिण रेलवे के गुन्टूर—माचर्ला सेक्शन पर रेल दुर्घटना	४०८१—८२
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	४०८१
श्री सें० वें० रामस्वामी	४०८१—८२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४०८२, ४१०३
सिलाई की मशीनों के पुर्जों के निर्माण के लिये सुन्दरम एण्ड कम्पनी को लाइसेंस दिये जाने के बारे में वक्तव्य	४०८३—८४
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	४०८३—८४
अफ्रीकी—एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन के बारे में	४०८५
विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४——पुरःस्थापित	४०८५
वित्त विधेयक, १९६४	४०८५——४१११
विचार करने का प्रस्ताव	४०८५
श्री ति० त० कृष्णमाचारी	४०८५——८९
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	४०८५——९२
श्रीमती रेणुका राय	४०९२—९३
श्री वै० तेवर	४०९४—९५
श्री मी० रु० मसानी	४०९६——९८
श्री काशी नाथ पांडे	४०९८—९९
श्री मा० ल० जाधव	४०९९—४१००
श्री अल्वारेस	४१००—०१
श्रीमती जमुना देवी	४१०१—०२
श्री ल० ना० भंजदेव	४१०३—०४
श्री बड़े	४१०५—०६
डा० श्रीनिवासन	४१०६—०७
श्री रामस्वरूप	४१०७—०८
श्री काशी राम गुप्त	४१०८—०९
श्रीमती कमला चौधरी	४१०९
श्री विश्वनाथ राय	४१०९—१०
श्री राजाराम	४११०—११
दूसरे अफ्रीकी—एशियाई सम्मेलन की तैयारी सम्बन्धी बैठक के बारे में वक्तव्य	४१०२—०३
श्री स्वर्ण सिंह	४१०२—०३

Subject	Page

Re : Calling Attention Notice (Query) 4081

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance. . 4011–82

Train accident on Guntur-Macherla section of Southern Railway 4081–82

Papers laid on the Table 4082–4083

Statement re: grant of licence to Sundaram & Company for manufacture of sewing machine parts 4083–84

Shri T.T. Krishnamachari 4083–84

Re : Conference of Afro-Asian nations 4085

Appropriation (No. 2) Bill—introduced 4085

Finance Bill . . . . 4085—4111

Motion to consider 4085

Shri T.T. Krishnamachari . . . . . 4085—89

Shrimati Renu Chakravartty . . . . . 4089—92

Shrimati Renuka Ray 4092–93

Shri V.V. Thevar 4094–95

Shri M.R. Masani . . . . 4096—98

Shri K.N. Pande 4098–99

Shri M.L. Jadhav 4099–4100

Shri Alvares 4100–01

Shrimati Jamunadevi 4101–02

Shri L.N. Bhanja Deo 4103–04

Shri Bade 4105–06

Dr. P. Srinivasan 4106–07

Shri Ram Swarup 4107–08

Shri Kashi Ram Gupta 4148–09

Shrimati Kamla Chaudhuri 4109

Shri Bishwanath Roy 4109–10

Shri Rajaram 4110–11

Statement re: preparatory meeting for Second Afro-Asian Conference 4102–03

Shri Swarn Singh 4102–03

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, १७ अप्रैल, १९६४/२८ चैत्र, १८८६ (शक)

Friday, April, 17, 1964/*Chaitra* 28, 1886 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Speaker in the chair}

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम

\+

*१०८८. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन : }

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने के लिये सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Yashpal Singh : May I know the amount of money given to companies given by the Corporation and the number of instal ments that have been repaid ?

श्री कानूनगो : Its report is presented. निगम का काम कपड़ा और पटसन उद्योग को ऋण देना है । मुझे विशिष्ट वर्ष की सही राशि मालूम नहीं है । किन्तु मैं समझता हूं कि पटसन उद्योग में, उसने ६० करोड़ रुपये के लगभग ऋण दिये हैं ।

Shri Yashpal Singh : How many instalments have been repaid and how many are still to be paid?

श्री कानूनगो : सभी किशतें पूरी दी जा रही हैं। कोई राशि बकाया नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की ओर कुछ बन्द हुए कपड़ा एककों को ऋण दिया गया है, और यदि हां, तो कुल कितनी राशि ऋण में दी गई है और कितने एकड़ों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

श्री कानूनगो : मुझे इसका पक्का पता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस निगम ने किसी बन्द हुए मिल को कोई ऋण दिया है ?

श्री वारियर : क्या सरकार का ध्यान औद्योगिक एककों के ब्यान की ओर दिलाया गया है कि ऋण मंजूर करने में असाधारण विलम्ब किया जाता है और जब मंजूरी दी जाती है तो पूरा हो चुकने के कारण उन ऋणों का लाभ नहीं उठाया जाता ?

श्री कानूनगो : इस मामले पर पहले कई अवसरों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जा चुका है और विलम्ब का कारण यह होता है कि पक्ष तथा उनके सोलिसिटर प्रत्याभूति के दस्तावेज पेश नहीं करते।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much loan has been given by the Corporation so far ?

Shri Kanungo : I don't know the exact figures. Whatever I knew I have stated.

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या ऋणों का उपयोग कपड़ा निर्माण मशीनरी को आधुनिक ढंग का बनाने, स्वचालित बनाने के लिये किया जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि उन औद्योगिक एककों ने ये ऋण लेने के बाद कितनी प्रगति की है ?

श्री कानूनगो : पटसन मिलों का प्रायः सारा कताई अनुभाग आधुनिक ढंग का कर दिया गया है।

श्री बासप्पा: उद्योगों को वित्त देने को छोड़ कर, यह निगम उद्योगों के संतुलित विकास के सम्बन्ध में कोई काम नहीं करता। जैसा कि प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया है, क्या इसको समाप्त किया जा रहा है क्योंकि इसका काम अन्य वित्तीय अभिकरणों के द्वारा किया जा सकता है, और यदि ऐसी बात नहीं है, तो क्या सरकार इस निगम के कार्यों का विस्तार करने का विचार कर रही है ?

श्री कानूनगो : वास्तव में यह निगम दूसरा संवर्धन कार्य कर रहा है और इस संगठन के द्वारा प्रारम्भिक अवस्थाओं में अधिकांश सरकरी क्षेत्र के उपक्रमों का संवर्धन किया है। इसका अपना परामर्श कक्ष है और वह जम्मू तथा काश्मीर एवं विभिन्न राज्य सरकारों के लिये परामर्श का कार्य कर रहा हैं।

श्री बासप्पा : विकास कक्ष भी तो है।

श्री कानूनगो : जी नहीं .....

श्री रंगा : हमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बहुतेरे चीनी मिलों के पुनः स्थापन एवं जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। क्या चीनी मिलों को आधुनिक ढंग का बनने के निमित्त ऋण देने का प्रयत्न किया गया है ?

श्री कानूनगो : कपड़ा तथा पटसन उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण देने का काम इस निगम का काम है और इसको हटा भी दिया गया है क्योंकि वह काम आई० एफ० सी० के नाम चला गया। चीनी मिल आई० एफ० सी० से ऋण ले सकते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री के पास कोई शिकायत आई है कि अधिकतर ऋण या तो एकाधिकार सार्थों या उनके उपग्रहों को दिये जाते हैं और यदि हां, तो सरकार ने नवागन्तुकों को ऋण मिल सके, इसके लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री कानूनगो : पटसन मिलों के कोई नवागन्तुक नहीं हैं।

ट्रैक्टरों का निर्माण

\+

*१०८९. {**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : **श्री महेश्वर नायक** : **श्री प्र० चं० बरुआ** : **डा० महादेव प्रसाद** :}

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खेती के ट्रैक्टर तैयार करने के लिये कुछ लाइसेंसशुदा कारखानों ने सन्तोषजनक प्रगति नहीं की है जिसका नतीजा यह हुआ है कि मांग और लाइसेंसशुदा क्षमता का फर्क बराबर बढ़ता ही जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : यह सच है कि कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये अनुज्ञिप्त एककों द्वारा की गई प्रगति सन्तोषजनक नहीं और उत्पादन मांग से बहुत कम हुआ है। स्थिति को सुधारने की दृष्टि से, कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण की अग्रेतर क्षमता का लाइसेंस देने पर लगा हुआ प्रतिबन्ध हाल ही में हटा दिया गया है और रुचि रखने वाले पक्षों से नई अर्जियां मांग गई हैं। बहुत सी योजनायें आई हैं और विचाराधीन हैं। पुर्जों और कच्चे माल तथा पूंजीगत माल के आयात के लिये, जिनकी उनके निर्माण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यकता होती है, अधिक विदेशी मुद्रा का नियतन करके वर्तमान एककों में उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : उन्होंने वांछनीय प्रगति न होने में अपनी असमर्थता के क्या वशिष्ट कारण बताये हैं और क्या सरकार ने उनकी कठिनाइयों को पूरा करने का प्रयत्न किया है ?

श्री प्र० चं० सेठी : उनको जो कठिनाइयां आती हैं उनका उल्लेख मुख्य प्रश्न के उत्तर में किया जा चुका है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस दृष्टि से कि उत्पादन की लागत एक अत्यावश्यक तत्व होता है और इसे बड़े पैमाने के उत्पादन के द्वारा ही कम किया जा सकता है, क्या सरकार छोटे एकक बनाने के इन सब विचारों को समाप्त करने और लागत को कम करने के हेतु से बड़े पैमाने के उत्पादन के लिये बहुत बड़े एकक स्थापित करने का विचार कर रही है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जिन एककों को लाइसेंस दिये जा चुके हैं, उन को पूरी क्षमता तक पहुंचना होगा। संभवत: तब लागत में कुछ कमी हो सके। परन्तु अब तक समूची स्थिति पर पुन: विचार कर रहे हैं और ट्रैक्टरों का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, इसके उपाय खोज रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ राय : देश में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये की गई कार्यवाहियों को देखते हुए, क्या भारत चालू योजना के अन्त तक ट्रैक्टरों के मामले में स्वावलम्बी हो सकेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम: जी नहीं, हम चौथी योजना के अन्त तक स्वावलम्बी बनने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि सरकार के पास ट्रैक्टर बनाने के लिये इन एककों को स्थापित करने के बहुत से प्रस्ताव आये हैं, वास्तव में किस प्रकार के ट्रैक्टर बनाने का विचार है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय, बिजली चालित हल किस्म, जो अनुमोदित है, लैंडमास्टर है, अकितू-वी-५०० और कुबोता। हमने जैटर और इन्टरनेशनल हारवेस्टर भी अनुमोदित किये हैं।

श्री रंगा : क्या कारण है कि सरकार उन लोगों की सहायता करने के कोई विशेष प्रयत्न नहीं करती, जिन्हें योग्य समझा गया है अथवा इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये ये लाइसेंस देना क्यों वांछनीय नहीं समझा जो उन्होंने इन सार्थों को बढ़ावा देने के लिये अपने सामने रखा है ? मैंने इस प्रश्न को एक बार पहले भी सभा में उठाया, किन्तु मैं देखता हूं कि सरकारी क्षेत्र भी इसको आरम्भ नहीं कर सकता और गैर सरकारी उपक्रम की भी सहायता नहीं की जाती और केवल उनको लाइसेंस ही दिये जाते हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अन्ततोगत्वा, यही कठिनाई गैर सरकारी उपक्रमों की है। यही कारण है कि हम ट्रैक्टर बनाने के उद्देश्य के लिये बड़ी सरकारी उपक्रम परियोजना बनाने का विचार कर रहे हैं।

Dr. Govind Das : The hon. Minister has just now stated that Government was considering to start production of tractors in the public sector. Is it not possible to manufacture such tractors in Gun Carriage Factory and similar other factories, where *Shakti-Vahan* trucks are being manufactured at present ? Necessary adjustment could be made for this purpose.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हमें इसका आयोजन पृथक फैक्टरी में करना होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: किन राज्य सरकारों ने सरकारी क्षेत्र में ट्रैक्टर बनाने के लिये इकाइयाँ स्थापित करने के लिये लाइसेंस मांगे हैं और उनको कितनी तरजीह दी जायेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : पंजाब ने मांगा है और विचाराधीन है। अन्य राज्य सरकारों ने भी अपने क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने के लिये लिखा है। राजस्थान ने भी लिखा है। किन्तु पंजाब ने अपने लिये लाइसेंस मांगा है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : कितना अधिमान दिया जाता है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह विचाराधीन है और हम राज्य सरकारों की प्रार्थनाओं पर विचार करेंगे।

Shri Y.S. Chaudhary . In view of the need for increasing agricultural production ; certain new firms have been given licences for the manufacture of tractors. May I know when those firms will start production and when the cases of such units, as have not yet started this work, will be finalised ?

Shri P.C. Sethi : We will be in position to manufacture five thousand tractors in 1965 and six thousand in 1966, and efforts are being made to overcome difficulties of foreign exchange.

सरकारी उपक्रमों में भरती के नियम

***१०६१. श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में भरती के लिये आदर्श नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या उन नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकारी क्षेत्रीय उपक्रमों के मार्ग दर्शन के हेतु भरती के नमूने के नियमों को शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाएगा और वे उपक्रमों को भेज दिये जायेंगे।

(ख) जी हां। नियमों के अन्तिम रूपेण तैयार हो जाने पर उनकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Yashpal Singh : Have Government consulted U.P.S.C. in this matter ?

श्री कानूनगो : नहीं। यह काम पूरा हो जाता ; परन्तु प्राक्कलन समिति ने अपने १५६वें प्रतिवेदन में कुछ सुझाव दिये। हम उसी प्रक्रिया को अपनायेंगे।

Shri Yashpal Singh : To what extent the State Governments have been consulted ? Will Government keep this work fully under their own control or it can be entrusted to State Government also ?

Shri Kanungo : These public undertaking are under the Central Government and the State Government do not come in the picture.

श्री कपूर सिंह : क्या निकट भविष्य में अखिल भारतीय सरकारी उपक्रम प्रबन्ध या औद्योगिक सेवा बनाने का विचार है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। ये नियम प्रत्येक निगम के लिये केवल मार्गदर्शनार्थ हैं। प्रत्येक निगम कानूनी एवं सांविधानिक रूप से स्वतन्त्र है। वह अपने निर्णय कर सकता है और भरती कर सकता है। यह केवल सलाह है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : To waht extent reser vation has been made for Harijans under the rules which have been framed ?

Shri Kanungo : When rules are presented it will be known.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस समय भरती कैसे की जाती है ? यदि नमूने के नियम नहीं इस समय किन भरती नियमों का पालन इन उपक्रमों में किया जाता है ? क्या प्रत्येक निगम के लिये पृथक नियम हैं या भरती के समान नियम हैं ?

श्री कानूनगो : जी नहीं। एक परिपत्र है जिसका सरकारी उपक्रमों द्वारा पालन किया जाता है। एक प्रति सभा पटल पर रखी हुई है। मोटे तौर पर प्रक्रिया यह है कि एक निश्चित प्रक्रम के ऊपर भरती अखिल भारतीय विज्ञापन द्वारा करनी पड़ती है। उसके नीचे भरती स्थानीय स्तर पर की जाती है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : My question has not been answered.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : सरकार ने एक वैज्ञानिक एवं प्रबन्धकीय पुज बनाया था और उसमें भरती की थी। उस पुज का क्या अनुभव हुआ ? उसको क्यों समाप्त किया जा रहा है ?

श्री कानूनगो: वह पुंज क्षेत्र सभी उपक्रमों के लिये नहीं बनाया गया था। वह गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित था। मुझे मालूम नहीं कि वह विद्यमान है या नहीं। यह प्रश्न श्रम मंत्रालय से पूछा जाए ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह प्रमुख रूप से इन उपक्रमों के लिये है। परन्तू वह कहते हैं कि उन को मालूम नहीं। यह आश्चर्य की बात है। उस पुंज का क्या अनुभव रहा ?

श्री कानूनगो : मैं ने कहा कि वह गृह मंत्रालय के प्रशानाधीन था ।

श्री सुरेन्द्रनाथद्विवेदी : जी नहीं। वह उद्योगों के लिये था और उद्योग मंत्री को मालूम नहीं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह सच ै कि सेवा कर्मचारी गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित होते हैं परन्तु यह सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये बनाया गया था। इस के सम्बन्ध में उपक्रमों का अनुभव क्या है ? उपक्रमों को इस क्षेत्र से क्या कठिनाइयां थीं ? उ न का रवैया उस पुंज के बारे में अब कैसा है ?

श्री कानूनगो: नमूने के नियमों का विचार नया नहीं है। वह कई वर्षों से बनाये गये हैं। जहां तक औद्योगिक प्रबवध पुंज का प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने भरती की थी और वही इस का प्रशासन करता है। उस विशिष्ट सेवा के कार्य के मूल्यांकन के बारे में सूचना आज मेरे पास नहीं है ।

Shri Tan Singh : What are the factors which have led to the need for framing these rules ? If the Government thinks that by framing these needed rules, all undertakings would be brought at an uniform standard, why the constitution of a central service is not considered necessary ?

श्री कानूनगो : मैं ने बताया है कि प्रयेक समवाय का पृथक कानूनी अस्तित्व है और ये नियम उन के लिये अनिवार्य नहीं हैं। ये केवल परामर्श तथा मार्ग दर्शन के लिये हैं।

श्री तन सिंह : फिर इस की आवश्यकता क्या है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या गृह उद्योग मंत्री सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बनाये गये नियमों के लिये उत्तरदायी है ?

श्री कानूनगो : उद्योग मंत्रालय सरकारी उपक्रमों का समन्वय करता है।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मैंने पूछा था कि सरकारी उपक्रमों के लिये नियम बनाने के लिये गृह मंत्री उत्तरदायी हैं या उद्योग मंत्री ?

श्री कानूनगो : ये प्रशासनिक नियम हैं और नियम केवल नमूने हैं। उद्योग मंत्रालय इन के लिये उत्तरदायी है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मा० मंत्री को मालूम है कि सरकारी उपक्रमों में भरती के मामले में पक्षपात और भाईभतीजावाद बहुत चलता है और यदि हां, तो इन को यदि समाप्त नहीं कर सकते, तो हल करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : उन के मार्गदर्शन के लिये नियम बनाये जा रहे हैं। यदि उन में उपबन्ध न हो तो वह पूछ सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखेगी कि इन उपक्रमों में पक्षपात हो रहा है और उन को हल करने के लिये समुचित नियम बनाएगी ?

श्री कानूनगो : यह बात ऐसी है कि क्या आप ने अपनी पत्नि को पीटना बन्द कर दिया है।" मैं माननीय सदस्य की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता। नियम सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों की अधिक कुशल भरती के लिये बनाये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सुझाव को ध्यान में रखा जाये।

श्री रंगा : विभिन्न मंत्रियों के बीच भ्रम दिखाई देता है। कुछ दिन पूर्व जब मैंने सुझाव दिया कि इस सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो के प्रबन्ध और भरती के लिये अखिल भारतीय सेवायें बनायी जायें, मैंने सोचा कि भारी उद्योग मंत्री इस सुझाव को स्वीकार करने को तैयार हैं। परन्तु इस मंत्री का उत्तर यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक सरकारी उपक्रम अपने नियम बनाने और अपने कर्मचारी भरती करने में पूर्णतया स्वतन्त्र है। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इस विशिष्ट मामले पर कुछ और विचार किया जाए और स्वर्गीय डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी द्वारा की गई पुरानी पेशकश को क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जाए, जब वह इस मंत्रालय के प्रभारी थे, कि इन उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिये सरकार की सहायता करने के लिये इस देश में ऐसी सेवा बनाई जाएगी ?

श्री कानूनगो : उत्तरों में कोई विरोध नहीं। इस्पात मंत्रालय के प्रभारी मेरे साथी सब से अधिक निगमों को चलाते हैं और जो आश्वासन या उत्तर उन्होंने दिया है, वह दे सकते हैं। इस मामले में, केन्द्रीय सरकार के ६० उपक्रम हैं। मैंने अपने उत्तर में कहा कि समवाम का पृथक कानूनी अस्तित्व है।

श्री रंगा : उन्होंने उत्तर नहीं दिया। क्या वह पुनर्विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है।

भू-विज्ञान सम्बन्धी नक्शों की चोरी

*१०६२. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री भूविज्ञान सम्बन्धी नक्शों की चोरी के सम्बध में १० मार्च, १९६४ के अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय परिमाप के कलकत्ता कार्यालय में पाकिस्तानी राष्ट्रजन नियुक्त है;

(ख) यदि हां, तो कितने ।

(ग) १९५९ में किसने जांच की थीं ; और

(घ) क्या जांच विशेष पुलिस स्थापना अथवा सी० आई० बी० को सौंपी गई थी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र०चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जांच भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के ३ वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा की गई थी । जिस के सभापति प्रशासन और सतर्कता के प्रभारी उपनिदेशक थे ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर "जी नहीं" से तो यह अर्थ निकलता है कि आज कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन नियुक्त नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी समस और विशेषत: १९५९ में अथवा उस के आस पास भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के कलकत्ता कार्यालय में पाकिस्तानी राष्ट्रजन नियुक्त थे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : १९५९ में यह जांच की गई थी कि क्या वहां पर कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन था : वहां कोई नहीं था ।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (ग) और (ध) का उत्तर है कि प्रशासन और सतर्कता के उपनिदेशक ने जांच की । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे गम्भीर मामले में जांच के लिये सी० आई० अथवा विशेष पुलिस स्थापना की सहायता क्यों नहीं ली गई ? उन से सहायता के लिये प्रार्थना न करने के क्या कारण थे ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : प्रश्न यह था कि क्या वहां कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन था । कर्मचारियों की डी० सूची की छानबीन की गई थी और प्रत्येक मामले की जांच की गई थी और वहां कोई पाकिस्तानी राष्ट्रजन नहीं था । गुप्तचर विभाग की सहायता लेने से क्या फायदा है ?

श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न यह था कि क्या वहां चोरियां हुई थीं— केवल पाकिस्तानी राष्ट्रजन नहीं .....

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वहां कोई चोरियां नहीं हुई । मैं इ स बात पर जोर देता रहा हूं कि वहां कोई चोरी नहीं हुई ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या वहां कोई नियमित स्टाक रजिस्टर है ...

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमारे पास भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में सभी नक्शों और दस्तावेजों की एक सूची है और हम हर वर्ष उसकी जांच करते हैं और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि क्या दस्तावेज वहां पर हैं। अभी तक यह पता नहीं लगा है कि कोई नक्शा अथवा दस्तावेज गुम है।

अनधिकृत बिजली करघों की गणना

+

*१०९३. { **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री जेधे :
श्री लोनीकर : }

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा तैयार करने वाले अनधिकृत बिजली करघों (पावर लूम्स) की गणना पूरी हो गयी है;

(ख) विभिन्न राज्यों और संघ, राज्य क्षेत्रों में कितने कितने अधिकृत और अनधिकृत बिजली करघे हैं; और

(ग) अनधिकृत बिजली करघों को वैध बनाने के लिये वस्त्र आयुक्त (टैक्सटाइल कमिश्नर) के पास कितने आवेदन पत्र पड़े हुए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २७४३/६४**]

श्री मा० ल० जाधव : बिजली करघों को नियमित करने के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री कानूनगो : नियमित करने की अन्तिम तिथि समाप्त हो गई है।

श्री मा० ल० जाधव : नियमित करने के लिये आवेदन पत्र कब से विचाराधीन पड़े हुए हैं ?

श्री कानूनगो : विचाराधीन —१४२१

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : १-४-१९६१ को अनधिकृत बिजली करघों की क्या स्थिति थी ?

श्री कानूनगो : १-४-१९६१ को ? मैं इस की जांच नहीं कर सकता। लगभग ९०,००० बिजली करघों को नियमित किया गया था।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरा प्रश्न यह था कि १-४-१९६१ को अनधिकृत बिजली करघों की क्या स्थिति थी : उत्तर यह दिया गया है कि ९०,००० बिजली करघों को नियमित किया गया है।

श्री कानूनगो : हम नहीं जान सकते कि कितने अनधिकृत करघे थे ; अनधिकृत करघों की जांच करने के लिये हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है।

625 (Ai) LSD.—2.

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक अनधिकृत बिजली करघे नहीं होंगे उन्हें नियमित कैसे किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यही बात तो मंत्री कह रहे हैं कि उन में से इतने करघों को नियमित किया गया है : इस का अर्थ हुआ कि वे अनधिकृत थे।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेरे माननीय मित्र का प्रश्न था, १-४-१९६१ को क्या स्थिति थी। माननीय मंत्री कहते हैं कि ९०,००० करघों को नियमित किया गया था। बिना अधिकृत हुए उन्हें नियमित कैसे किया जा सकता हैं ? . . . . . (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : तीनों के तीनों सदस्य खड़े क्यों हो रहे हैं ? प्रश्न को दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मैं १ अप्रैल, १९६१ के महत्व को नहीं बता सका हूं। उस तारीख के बाद दण्डात्मक उत्पादन शुल्क लगाया गया था। इसी लिये हम यह जानने के इच्छुक हैं कि उस तिथि विशेष को अनधिकृत बिजली करघों की क्या संख्या थी।

अध्यक्ष महोदय : यह बताना संभव नहीं है कि अनधिकृत बिजली करघों की क्या संख्या थी क्योंकि जब तक वे प्रकट नहीं होते उन का पता नहीं लगता और वे तब ही प्रकट होते हैं जब वे नियमित होना चाहते हैं ।

श्री कानूनगो : १५-११-१९६१ से प्राप्त हुए सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा था और उन में से लगभग ९०,००० . . . .

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या वह सीधे रूप में इस का उत्तर दे सकते हैं। १-४-१९६१ को क्या स्थिति थी ?

श्री कानूनगो : मेरे पास इस की जांच करने की कोई व्यवस्था नहीं है . . . (**अन्तर्बाधा**)

Shri Achal Singh : When does hon. Minister propose to remove restrictions on the power looms ?

श्री कानूनगो : वर्तमान नीति रोक लगाने वाली है। अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस पर पुनः विचार किया जायेगा ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इन अनधिकृत बिजली करघों के कारण ऊनी धागा, विशेषतः आयात किये गये सामान से बनाया गया, इन बिजली करघों को चला जाना है और वहां पर जो कपड़ा तैयार किया जाता है वह चोर बाजार में बिकता है क्योंकि इस कपड़े का हिसाब किताब नहीं रखा जा रहा है ? इस सम्बन्ध में वह क्या करना चाहते हैं ?

श्री कानूनगो : ऊनी धागे का वितरण ठीक नही रहा है अब हम इसे ठीक करने का यत्न कर रहे हैं ।

Shri Yashpal Singh : When the responsibility of all the ministries is joint, was it not the duty of the Ministry of Irrigation and Power to stop the unauthorised power-looms from running and if they had been allowed to run what measures are being taken to stop them in future ?

श्री कानूनगो : पावर लूम बिजली के बिना भी भाप अथवा डीजल से चल सकते हैं ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस प्रश्न के उत्तर में जो विवरण दिया गया हैं उसमें बताया गया है कि ३०–११–६३ को अनधिकृत करघों की संख्या ७१,६६५ थी : आवेदन पत्रों की कुल संख्या १४२१ बनती है । जहां तक ६०,००० बिजली करघों को नियमित करने की स्थिति है वह इस विवरण के विरुद्ध है । सही जानकारी क्या है जो माननीय मंत्री देना चाहते हैं ?

श्री कानूनगो : बात यह है । हो सकता है कि करघे हों ही नही । ऐसे आवेदन पत्र भी हैं जो नामंजूर कर दिये गये हैं . . . . **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । मेरे कहने के बावजूद भी सदस्य अपने स्थानों पर नहीं बैठ रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से यह प्रतीत होता है कि ३० नवम्बर, १९६३ को कुल ७१,६६५ अनधिकृत करघे थे और अकेले महाराष्ट्र में ३६,३८७ करघे थे । यह भी कहा गया था कि १४२१ आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या १४२१ करघों को छोड़ कर अन्य सभी करघों को नियमित कर दिया गया था और यदि हां, तो क्या इस के लिये तिथि ३१–३–६३ अथवा ३१–५–६३ निश्चित की गई थी ?

श्री कानूनगो : आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख १५–११–१९६१ थी । जिन्हें वह ७१,००० लाइसेंस अथवा आवेदन पत्र कहते हैं उन्हें नामंजूर कर दिया गया है । केवल १४२१ विचाराधीन पड़े हैं ।

श्री लीलाधर कटकी : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में मंत्री ने बताया कि १४२१ आवेदन पत्र विचाराधीन थे । इन आवेदन पत्रों को निबटाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और उनको निबटाने में कितना समय लगेगा ?

श्री कानूनगो : पक्षों को उत्पादन शुल्क प्रमाण पत्र पेश करने पड़ते हैं । ज्यों ही वे ऐसा कर देंगे, आवेदन पत्रों को निबटा दिया जायेगा ।

कलकत्ता के लोहा और इस्पात नियंत्रक कार्यालय में छंटनी

+

*१०६४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री रामसेवक यादव :
श्री उटिया : }

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के विनियंत्रण के कारण कलकत्ता के लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के लगभग ५०० कर्मचारियों की छंटनी होनी बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें दूसरा कामकाज दिलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) क्या इस विषय में कोई योजना तैयार की गई है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं। राज समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णयों की क्रियान्वित के परिणामस्वरूप कलकत्ता में लोहा और इस्पात नियंत्रक के मुख्य कार्यालय में कुछ कर्मचारी फालतू हो जायेंगे । इस समय कोई निश्चित प्राक्कलन नही बनाये गये हैं ?

(ख) और (ग) कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालियों में वर्तमान रिक्त स्थानों पर अथवा भविष्य में रिक्त होने वाले स्थानों पर कर्मचारियों को काम दिलाने का प्रश्न पहले से ही सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस कार्यालय के कार्मिक संघ ने कोई प्रार्थना की है कि यदि आवश्यक हो तो उन का तबादला किसी स्थायी विभाग में कर दिया जाये क्योंकि इससे पहले इस विभाग की अनिश्चितता के कारण उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): जी हां, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि वे फालतू हो जाते हैं, तो वास्तव में कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित करने की संभावना है और क्या उन का तबादला अन्य सरकारी विभागों में सेवा की निरन्तरता के साथ और उन की उपलब्धियों में किसी कमी के बिना किया जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : वह प्रश्न अब नहीं उठता : जैसाकि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं । परन्तु उन्हें उपयुक्त पदों पर रखने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । इस समय कोई भय नहीं है, परन्तु इसके भविष्य में होने का भय है । मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी हालत में सरकार की क्या नीति होगी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन की वरिष्ठता और अन्य लाभों को जो उन्हें इस विभाग विशेष में मिलते हैं रक्षित रखा जायेगा ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : अन्य विभागों में नियुक्तियों के सम्बन्ध में नियम हैं । वे नियम इन मामलों पर भी लागू होंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह बात ध्यान में रखते हुए कि सरकार का यह विभाग द्वितीय विश्वयुद्ध में बना और गत २५ वर्षों से छंटनी और भरती के सम्बन्ध में विभिन्न उतार-चढ़ाव होते रहे हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इन में से कुछ कर्मचारियों की सेवा बहुत लम्बी है, क्या इन कर्मचारियों को आश्वासन दिया जा सकता है कि गृह-कार्य मंत्रालय अन्य सभी सरकारी कार्यालयों और अर्द्ध-स्वायत्तशासी निगमों को परिपत्र जारी करेगा ताकि इन व्यक्तियों को उपलब्धियों और वरिष्ठता में बिना किसी हानि के काम पर लगाया जा सके ?

श्री चि०सुब्रह्मण्यम : जैसा कि मैंने पहले बताया, हम ने गृह-कार्य मंत्रालय को लिखा है । वह भी इस पर सहानुभूति से विचार कर रहे हैं, और मुझे आशा है कि इस्पात नियंत्रण कार्यालय के कर्मचारियों को राहत दी जायेगी ।

सीमेंट अनुसंधान संस्था

*१०९५. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के निकट एक सीमेंट अनुसन्धान संस्था स्थापित होगी ;

(ख) यदि हां, तो इस संस्था में किन का सहयोग होगा ; और

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) यह संस्था एक सहकारी उपक्रम के रूप में होगी जिसमें देश के सभी सीमेंट उत्पादक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् शामिल होंगी ।

(ग) संस्था की पूंजी लागत और आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिये उद्योग भारत में बेची गई सीमेंट पर १० नये पैसे प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से देगा । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् उद्योग द्वारा दिये गये अंशदान के बराबर राशि के अनुदान देने के लिये राजी हो गई है और ये अनुदान, उद्योग द्वारा किये गये व्यय/समय समय पर किये जाने वाले व्यय पर आधारित होंगे ।

श्री सुबोध हंसदा : इस अनुसंधान संस्था के स्थापित करने में कितना खर्चा आयेगा, और इस में सरकार का क्या भाग है ?

श्री कानूनगो : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद आधा खर्चा देने के लिये तैयार है । इस संस्था को स्थापित करने के लिये पूंजी और आवर्ती व्यय का हिसाब लगाया जा रहा है और उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह संस्था एक स्वायत्त शासी निकाय के अधीन चलाई जायेगी अथवा इसका प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : यह एक स्वायत्तशासी निकाय होगा ।

श्री बासप्पा : क्या यह अनुसन्धान संस्था कुछ कारखानों में पैदा की गई घटिया किस्म की सीमेंट के प्रश्न पर विचार करेगी जिससे कि सरकार लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिये स्वीकार नहीं करती और रेलवे पुलों आदि के निर्माण के लिये स्वीकार नहीं करती ; यदि हां, तो सरकार इन सीमेंट कारखानों को मंत्रणा देने के लिये क्या कदम उठायेगी जिससे कि व अपना काम उचित रूप से कर सके ?

श्री कानूनगो : सीमेंट की किस्म के संबंध में स्तर निर्धारित किये गये हैं यदि कोई निर्माता निर्धारित स्तर की सीमेंट नहीं बनाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

श्री बासप्पा : मैंने उदाहरण दिये हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अम्मासन्द्रा सीमेंट कारखाने का उदाहरण, जहां कि कारखाने अपना काम उचित रूप से नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How long will it take to establish this institute and what is the expenditure involved in it ?

Mr. Speaker : Regarding the expenditure, the Minister has pointed out that estimates have not been prepared as yet.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much time will it take ?

श्री कानूनगो : मेरा विचार है कि अगले ६ महीनों में कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया जायगा ।

श्री रंगा : जैसे कि सहकारी क्षेत्र के बहुत से उपक्रमों, जैसे मशीन टूल्ज़ फैक्टरी और हैवी इलेक्ट्रिकल्ज़ लिमिटेड, में भारतीय मानक संगठनके प्रतिनिधि हैं, क्या सरकार ने, सीमेंट की किस्म सुनिश्चित करने के लिये और यह देखने के लिए कि सीमेंट के कारखानों द्वारा तैयार की गई सीमेन्ट निर्धारित स्तर की हो, इस से मिलती जुलती प्रणाली स्थापित की है ?

श्री कानूनगो : विभिन्न श्रणियों की 'पोर्टलैंड' सीमेंट के लिये निर्धारित स्तर हैं और कोई भी व्यक्ति जो निर्धारित स्तर से घटिया सीमेंट चोरी से बेचता है उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है ।

श्री रंगा : यह सुनिश्चित करने के लिये कि सीमेंट की किस्म अच्छी है क्या सरकार अपने कोई निरीक्षक रखती है जैसा कि वह अन्य अनेक कारखानों के लिये रखती है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं, सरकार के कोई निरीक्षक नहीं हैं, परन्तु सभी कारखाने अपना किस्म नियंत्रण रखते हैं, और सरकार चूंकि सब से बड़ी मात्रा में सीमेंट खरीदती है इसलिये वह भी खरीदते समय उसकी जांच करती है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या सीमेंट अनुसन्धान संस्था देश का पूर्ण सर्वेक्षण करने जा रही हैं जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि कच्चा माल कहां उपलब्ध है ?

श्री कानूनगो : जी, नहीं, यह संस्था का काम नहीं है ।

Shri Achal Singh : When Research Institutes already exist at other places, what is the necessity of opening another Institute in Delhi ?

श्री कानूनगो : कारण यह है कि निर्माण अनुसन्धान संस्था समीप ही है और सड़क अनुसन्धान संस्था दिल्ली में है । अतः दिल्ली में संस्था स्थापित करना वैज्ञानिकों द्वारा अधिक उचित समझा जाता है ।

श्री लीलाधर कटकी : अनुसन्धान के वे बड़े पहलू क्या हैं जिन पर यह संस्था अनुसन्धान करेगी ?

श्री कानूनगो : इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री प० ना० कथाल : क्या घटिया किस्म की सीमेंट बनाने वालों पर अब तक मुकदमा चलाया गया है ?

श्री कानूनगो : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री रंगा : बिना जानकारी के सीमेंट का अच्छा स्तर नहीं हो सकता ।

श्री श्याम लाल सर्राफ : सीमेंट की अच्छी किस्म बनाये रखने के अतिरिक्त क्या यह संस्था मूलभूत अनुसन्धान भी करेगी ?

श्री कानूनगो : अनुसन्धान का कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है । यही मैंने कहा है ।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शरवती परियोजना के बारे में भी शिकायतें थीं कि वहां पर खराब सीमेंट सप्लाई की गई, जब कि मंत्री के कहने के अनुसार सरकार के पास सीमेंट की जांच करने की मशीन है जिससे कि वह बड़ी मात्रा में सीमेंट खरीदते समय सीमेंट का परीक्षण करती है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार के पास सीमेंट की जांच करने की जो मशीन है वह दोषरहित है और उस पर भरोसा किया जा सकता है ?

श्री कानूनगो : मुझे आशा है कि मशीनें दोषरहित हैं ।

श्री रंगा : यह तो केवल आशा है । क्या व अब भी उसे देखने की चेष्टा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

चश्मों के कांच का निर्माण

+

*१०९९. { **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसुमतारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चश्मे के कुछ प्रकार के कांच तैयार करने के लिये रूसी सहयोग से स्थापित की गई परियोजना में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस परियोजना को आरम्भ करने के लिये कितनी रूसी सहायता ली गई है ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) दि नेशनल इन्स्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड ने आयात किये हुये संयंत्र और उपकरण के संभरण के लिये मेसर्ज़ प्रोमाश-एक्सपोर्ट के साथ एक करार किया है ।

(ख) इस पर १.१८ करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा खर्च होगी जो रूस से मिलने वाले ५० करोड़ रूबल के ऋण से पूरी की जायेगी ।

(ग) वर्ष १९६६ तक ।

श्री विश्राम प्रसाद : विवरण में यह कहा गया है कि मूलतः इसमें १.१८ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होगी जिसको रूस से प्राप्त ५० करोड़ रूबल के ऋण से पूरा किया जाएगा इस परियोजना पर कुल व्यय कितना होगा और रूस से प्राप्त यह ऋण किस प्रकार वापस किया जायेगा ?

श्री कानूनगो : यह रूस के कुल ऋण का एक भाग है और परियोजना पर कुल व्यय लगभग ३.७ करोड़ रुपये होने की संभावना है। सरकारों के बीच किसी अन्यऋण की तरह ही इसका भुगतान किया जायेगा।

श्री विश्राम प्रसाद : विवरण में यह कहा गया है कि वहां पर असैनिक कार्य में भी साथ साथ प्रगति हो रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना का ठीक स्थान क्या है और परियोजना के पूरा होने पर हमारे देश में कितनी प्रतिशत मांग पूरी हो सकेगी ?

श्री कानूनगो : स्थान दुर्गापुर है जहां इमारत बन रही है। इस संयंत्र में लगभग ३०० टन चश्मे के शीशे के उत्पादन की संभावना है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : रूस जैसे देशों ने जिस निधि का वचन दिया है उसमें से गैर-सरकारी उद्योगों को किस आधार पर विदेशी मुद्रा दी जाती है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि इस संयंत्र की निर्यात क्षमता क्या है ?

श्री कानूनगो : यह केवल आयात कम करने के लिये है और इसमें ऐसी उपादन व्यवस्था की जा रही है जिसमें बड़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

श्री बासप्पा : क्या इस परियोजना को भारी इंजीनियरी निगम को सौंपा गया है हालांकि प्राक्कलन समिति ने यह कहा है कि इसको राष्ट्रीय औजार कारखाने को सौंपा जाये ; यदि हां, तो क्यों ?

श्री कानूनगो : जैसा कि प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया था, इसको अब राष्ट्रीय औजार निगम (नेशनल इन्स्ट्रूमेन्ट्स कारपोरेशन) को सौंप दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : पहले इस संयंत्र को देहरादून में लगाने का निर्णय किया गया था क्योंकि आयुध कारखाना पहले ही उनकी सहायता से उन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। अब इस स्थान को बदल कर देहरादून से दुर्गापुर को क्यों कर दिया गया है ?

श्री कानूनगो : देहरादून के बारे में कभी विचार नहीं किया गया और इसके विशेषज्ञों ने सभी स्थानों की जांच पड़ताल करके दुर्गापुर के बारे में फैसला किया।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know the value of opthalmic glass imported from abroad and the value of the indigenous products ?

Shri Kanungo : We are not producing anything as yet.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : What is the value of imports from abroad ?

श्री कानूनगो : आयात के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

रांची की भारी इंजीनियरी सामान परियोजनाएं

***१०६८. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची की भारी इंजीनियरी सामान परियोजनाओं की कुल लागत का मूलतः क्या प्राक्कलन बनाया गया था ;

(ख) इस समय कुल लागत का क्या अनुमान है ; और

(ग) मूलत: प्राक्कलित लागत तथा इस समय अनुमानित लागत में अधिक अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २७४४/६४]**

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या यह सच है कि लागत में वृद्धि मुख्यत: इस कारण हुई है कि परियोजना की स्थापना में असामान्य रूप से विलम्ब हुआ है और क्या यह भी सच है कि कई महीनों से अनेकों मशीनें ऐसे ही पड़ी हैं और यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह बात सही नहीं है कि असामान्य विलम्ब के कारण ऐसा हुआ है । मशीनें आ रही हैं और इनको लगाने का कार्यक्रम है । जहां तक इनको लगाने के कार्यक्रम का सम्बन्ध है, यह निर्धारित कार्यक्रमानुसार है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जैसा कि इस सभा की एक समिति ने भी उल्लेख किया है, क्या यह सच नहीं है कि काफी मशीनें वास्तव में ऐसी ही पड़ी रहीं । यह काफी समय तक यूंही ही पड़ी रहीं और इस कारण हमें काफी रकम का नुक्सान हुआ ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : परियोजना स्थल पर आने वाले सभी मशीनों को लगाना संभव नहीं हो सका है । लेकिन उनको लगाने का कार्यक्रम है । आने वाली सभी मशीनों को फौरन नहीं लगाया जा सकता ।

Shri S. C. Soy : May I know whether Government had, while working out the revised cost, taken into account the fact that the Dhebar Commission had recommended that cost of rehabilitation of the persons displaced due to this project should be included in the cost of the project itself ?

Shri P. C. Sethi : The responsibility for rehabilitating the displaced persons lies with the State Government.

Shri S. C. Soy : The Dhebar Commission had specifically recommended that the rehabilitation cost should be included in the cost of the project. I want to know the decision taken on that recommendation.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं ।

Mr. Speaker : Was any such recommendation made ?

Shri P. C. Sethi : So far as the question of rehabilitating them is concernd, the responsibility lies with the State Government and they are acting accord, lingly.

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : विवरण में यह देख कर दुख हुआ है कि लागत में छोड़ी गई मदों पर व्यय के कारण वृद्धि हुई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इन अत्यावश्यक मदों को, जिनकी पहले प्रत्याशा की जा सकती थी, मूल परियोजना प्रतिवेदन में से क्यों निकाला गया । परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने और उसमें ऐसी प्रत्याशित आवश्यक मदों को छोड़ देने की क्या कसौटी है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन इस दिशा में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये जाते हैं । इन मामलों में कुछ बातों को छोड़ दिया गया था और बाद में यह पाया गया कि इनको भी शामिल किया जाये ।

श्री रंगा : इनको क्यों छोड़ा गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं इस बारे में परियोजना प्रतिवेदन बनाने वालों से पूछूंगा । मुझे खद है कि इस बारे में कारणों का मुझे पता नहीं है ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: मेरा एक औचित्य प्रश्न है । विवरण में ऐसी मदें दिखाई गई हैं जिनकी प्रत्याशा की जा सकती थी और जो उस समय महसूस नहीं हुईं । इन मदों को परियोजना प्रतिवेदन में से क्यों छोड़ा गया ? यह उत्तर नहीं है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : कुछ को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में शामिल किया जा सकता था लेकिन जिन्होंने प्रतिवेदन तैयार किया, उन्होंने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में इसको शामिल करना आवश्यक नहीं समझा । यह तो काम विशेषज्ञों का है जिसको विशेषज्ञों के एक दल ने किया हैं ।

श्री रंगा : मंत्रालय को गुमराह करने के लिये ।

Shri Tan Singh : There are certain items which could have been included in the detailed project report earlier such as......

Mr. Speaker : The same question was asked by Dr. Singhvi.

Shri Tan Singh : These items, which could be included in the detailed project report earlier, were not included with the result that the expenditure on the project would not be balanced. I want to know the action being taken by the Government to ensure that such mistakes do not occur in future ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम गल्ती करके भी कुछ सीखते हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : बड़ी महंगी गल्तियां हैं ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ये गल्तियां महंगी नहीं हैं क्योंकि हमने फलहीन व्यय किया है । जब हम परियोजना क्रियान्वित करते हैं तो कुछ और काम आवश्यक हो जाते हैं जो करने पड़ते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । प्रश्न उत्तर दिये जाने के बाद इस प्रकार की वार्ता, आलोचना और अनुपूरक प्रश्न पर अनुपुपूरक प्रश्न नहीं होने चाहियें ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : विवरण पर एक नजर डालने से ही पता चल जाता है कि अन्तर कितना है और एक मामले में यह किस प्रकार ४६ करोड़ से बढ़ कर ७४ करोड़ रुपये हो गया है । बताया गया है कि यह वृद्धि दो कारणों से हुई है अर्थात् छोड़ी गयी मदों की लागत और निर्माण लागत में वद्धि । क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्राथमिक बातों में भी लागत में प्रत्याशित वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सका और क्या मंत्री महोदय ने इस बारे में कोई कदम उठाये हैं कि आयोजन अच्छा हो सभी परियोजनाओं के बारे में तैयार अच्छी हो ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, हां। जहां तक भूमि गा सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को पता है कि फाउन्ड्री फोर्ज परियोजना के मामले में यह प्रत्याशा की गयी थी कि उस प्रकार की धरती के लिये एक विशेष प्रकार का "पाइलिंग" पर्याप्त है। उस के आधार पर परिखोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया और लागत का प्राक्कलन किया गया लेकिन बाद में जब हम ने थोड़ा और खोदा तो यह पता लगा कि यह कुछ भिन्न है और इसलिये भिन्न प्रकार का "पाइलिंग" करना पड़ेगा ; अब यह काम शुरू किया गया और "पाइलिंग" कार्य पूरा किया गया। मैं यह मानता हूं कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय मिट्टी का ठीक से परीक्षण नहीं किया गया।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरा मुख्य प्रश्न यह है। स्पष्टतः यह गलत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का उदाहरण है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय भविष्य में स्थिति सुधारने के लिये कोई कदम उठा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने अभी इस का उत्तर दिया है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उन्हों ने केवल मिट्टी के बारे में उत्तर दिया है। यह तो एक ३. बात है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि सरकार को इन गल्तियों से ही समझ आयेगी और एक बार गलती होने पर वे सबक सीख जायेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हों ने कोई कदम उठाये हैं। आखिर यह सार्वजनिक धन है और इस को इस प्रकार बर्बाद नहीं किया जा सकता।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : आखिर हमें यह तो पता लगना ही चाहिये कि क्या विशिष्ट कदम उठाये जायेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : हम पीछे की गयी गल्तियों और बर्बाद किये गये धन के बारे में क्षमा की बात समझते हैं लेकिन हमें यह तो पता चलना ही चाहिये कि इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं। भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि....

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। मैं ने उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योग

*११००. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन के मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र द्वारा बनाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उत्पादन लागत का पुनर्विलोकन करने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) और (ख). सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उत्पादित विभिन्न श्रेणियों के इस्पात की उत्पादन लागत का पुनर्विलोकन करती रही है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में तीनों इस्पात संयंत्रों द्वारा दिये गये आंकड़ों के आधार पर हर मास उत्पादन लागत का पुनर्विलोकन होता है। यह मासिक पुनर्विलोकन सरकार को भेजा जाता है जो कच्चे माल के इस्तेमाल, बंधी लागत और उत्पादन के संदर्भ में लागत में भिन्नताओं का परीक्षण करती है। सरकार वर्ष १९६३-६४ में वर्ष १९६२-६३ की तुलनात्मक आंकड़ों के अतिरिक्त इस्पात की उत्पादन लागत में १५ प्रतिशत की कमी के लक्ष्य को ध्यान में रखे हुए है।

अन्य सरकारी क्षेत्रीय संयंत्रों के बारे में हर सम्बन्धित निगम अपनी उत्पादन लागत का पुनर्विलोकन करता है। सरकार का यह इरादा है कि इस पुनर्विलोकन कार्य को अधिक क्रमवार बनाया जाये और इस को सरकारी स्तर पर किया जाये।

श्री जसवन्त मेहता : इस मंत्रालय के अधीन कितने सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम ४ प्रतिशत से कम लाभांश की घोषणा करते हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : इस मंत्रालय के अधीन अधिकांश उद्योग भारी और मूल उद्योग हैं और उन को पूरी उत्पादन क्षमता तक पहुंचने में काफी समय लगता है।

जहां तक इस्पात के उत्पादन का सम्बन्ध है, वर्ष १९६३-५४ में केवल दो संयंत्रों में पूरा उत्पादन हो सका और राउरकेला संयंत्र में ६० प्रतिशत उत्पादन हो सका। हमें आशा है कि वर्ष १९६४-६५ में इन सभी इस्पात संयंत्रों में उत्पादन अधिक होगा और लाभ भी होगा।

जहां तक अन्य सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं का सम्बन्ध है, उन में से अधिकांश निर्माणाधीन हैं और कुल में हाल में ही उत्पादन शुरू हुआ है।

श्री जसवन्त मेहता : वित्त मंत्री महोदय ने अपने आयव्ययक भाषण में घोषणा की थी कि सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं को इस तरह से काम करना चाहिये कि उन से लाभ हो। क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार तैयार माल के मूल्यों का पुनर्विलोकन करने पर विचार कर रही है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी हां। हम निरन्तर उत्पादन लागत का पुनर्विलोकन करते हैं। अपने मंत्रालय की मांगों पर बहस के उत्तर में मैं ने भी यह आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में सभी कदम उठायेंगे कि उन से लाभ अच्छा हो।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं में उत्पादित देशीय उर्वरक की उत्पादन लागत क्या है, इन उर्वरकों का विक्रय मूल्य क्या है और उन की आयातित उर्वरक की लागत से क्या तुलना है।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह प्रश्न उर्वरकों के प्रभारी मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों में से किसी का भी मुख्य प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : सरकारी क्षेत्रीय परियोजनाओं में उत्पादन लागत मुख्य प्रश्न का विषय है . . .

अध्यक्ष महोदय : लेकिन हर बात तो इस के अन्दर नहीं आ सकती। उर्वरकों का प्रभार अन्य मंत्रालय पर है ।

श्री शिवराजी राव शं० देशमुख : यह सभी उद्योगों में उत्पादन लागत के बारे में है।

श्री स० मो० बनर्जी : इस सभा में हमें यह बताया गया था कि उत्पादन अधिक होने के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में उत्पादित इस्पात की लागत कम हो जायेगी। मूल्यों में कितनी कमी हुई है और इन की गैर सरकारी क्षेत्र की उद्योगों के मूल्यों से क्या तुलना है ? यदि हमारे मूल्य अधिक हैं, तो क्या यह उच्च प्रशासन के कारण हैं ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जहां तक इस्पात परियोजनाओं का सम्बन्ध है, वर्ष १९६३-६४ में राउरकेला में उत्पादित बिक्री के इस्पात की उत्पादन लागत में वर्ष १९६२-६३ की लागत से १५ प्रतिशत की कमी हुई थी, दुर्गापुर में १३ प्रतिशत की कमी हुई और भिलाई में ७ प्रतिशत की कमी हुई। जहां तक उत्पादन लागत का सम्बन्ध है, यह गैर-सरकारी क्षेत्र के बराबर है । लेकिन हमारा प्रति टन विनियोजन बहुत अधिक है।

छोटे पैमाने के उद्योग के लिए मशीनों का आयात

*११०१. **श्री हरिश्चन्द्र माथर** : क्यय **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने छोटे पैमाने के उद्योग के लिए मशीनों का आयात करने के बारे में नवम्बर, १९६२ से एक भी नया आवेदन पत्र नहीं लिया है;

(ख) क्या सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र भेजा गया था कि नवम्बर, १९६२ से कोई नया आवेदन पत्र न भेजा जाये; और

(ग) ऐसे आदेश जारी करने का यदि कोई अन्य कारण है तो क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (का) जी हां, रुपया भुगतान क्षेत्रों से आयात के मामलों को छोड़ कर क्रयावक्रय योजना के अन्तर्गत ।

(ख) जी, हां ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि अन्य क्षेत्रों के लिये क्रय।वक्रय आधार पर आयात की हुई मशीनों के संभरण की कोई योजना नहीं है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथर : क्या मंत्री महोदय को याद है कि लघु उद्योग बोर्ड की पिछली बैठक में विभिन्न राज्यों के सभी सरकारी सदस्यों ने और मंत्री ही नहीं बल्कि विकास आयुक्त भी लघु उद्योगों के प्रति इस व्यवहार के विरुद्ध शिकायत करने को विवश हुए कि जब बड़े उद्योगों को मशीनें आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा मिल सकती है, वर्ष से लघु उद्योग को एक भी पाई नहीं मिल रही है ? तब से मंत्री महोदय ने क्या कदम उठाये हैं और इस पर वित्त मंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

श्री कानूनगो : यह प्रश्न क्रयावक्रय के बारे में है। आज हर उद्योग, यदि यह नीति के अन्तर्गत हकदार है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मशीनें आयात कर सकता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह प्रश्न विदेशी मुद्रा दिये जाने के बारे में है।

श्री कानूनगो : यह पृथक से नहीं दी जाती। नयी नीति के अन्दर आये हर आवदक को छः महीने तक यह मिलती है। मैं ने इस की जांच नहीं की। लेकिन इस पर कोई रोक नहीं है। इस को पृथक भी किया जा सकता है। लेकिन उस में काफी कठिनाई होगी। लेकिन बात यह है कि निगम ने इतने अधिक क्रयादेश स्वीकार कर लिये जिन को वह पूरा नहीं कर सकता। अतः पहले किये हुए वृद्धताओं के पूरा होने तक क्रयावक्रय के आधार पर मशीनों के आयात को रोक देना पड़ा। मुझे आशा है कि ये वद्धतायें शीघ्र ही पूरी हो जायेंगी। क्योंकि मुझे आशा है कि कुछ ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि लघु उद्योक बोर्ड की जिस की बैठक एक बर्ष में दो तीन बार होती थी एक वर्ष से अधिक समय से कोई भी बैठक नहीं हुई है क्योंकि मंत्री महोदय सदस्यों को मुंह नहीं दिखला सकते, जहां तक लघु उद्योगों को कच्चे माल और विदेशी मुद्रा दिये जाने का सम्बन्ध है, उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है ? यदि ऐसा नहीं है तो उन्हों ने बोर्ड की बैठक क्यों नहीं बुलाई ?

श्री कानूनगो : यह सही है कि काफी समय से बैठक नहीं हुई है, इस को एक वर्ष से अधिक नहीं हुआ बल्कि कम हुआ . . .

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्यों।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ।

श्री कानूनगो : माननीय सदस्य को इस से सन्तोष हो जायेगा कि यह मंत्री के डरपोकपन के कारण नहीं हुई।

श्री श्यामलाल सर्राफ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले के वर्षों में लघु उद्योग बोर्ड ने देश में बड़ा उत्साह दिखाया और लोगों ने ध्यान दिया और योजनायें बनायी लेकिन अनेक उद्योग आयातित मशीनों के अभाव में यों ही पडे हैं, क्या सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और उन को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के जरिये सहयाता देगी ताकि वे अपने यूनिटों का पूरा कर सकें ?

श्री कानूनगो : प्राथमिकता पहले दिये गये वचनों को दी जाती है। यह सच है कि कार्यक्रम एक वर्ष से अधिक से रोका हुआ है क्यों कि इस के लिये हमारे पास संसाधन नहीं थे।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह प्रश्न को पढ़ें और अपने वक्तव्य को सही करें; यह प्रश्न क्रयावक्रय योजना के बारे में नहीं है। मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि उन मशीनों का क्या होगा जो क्रयावक्रय योजना के अन्तर्गत नहीं आतीं।

श्री कानूनगो : मैं उत्तर दे चुका हूं कि घोषित नीति के अनुसार छः महीने तक वे आयात कर सकते हैं।

श्री मुरारका : क्या नीति के तौर पर सरकार लघु उद्योगों के लिये मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा को विशेष रकम आवंटित करती है अथवा इन के लिये कोई विशेष आवंटन नहीं किया जाता और इन को बड़े उद्योगों से विदेशी मुद्रा लेने के लिये छोड़ दिया जाता है ।

श्री कानूनगो : ऐसा होता है, केवल क्रयविक्रय के लिये ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को यह बतलाया गया है कि बड़े उद्योगपतियों ने लघु उद्योगों के जीरये आयातित मशीनें प्राप्त करना शुरू कर दिया है, वास्तव में मशीनें उन को मिलती हैं, क्या इन कुप्रथाओं, और अनियमितताओं के बारे में मंत्री महोदय को बताया गया है और यदि हां, तो इस का उपचार क्या है ?

श्री कानूनगो : जी नहीं, किसी भी राज्य सरकार ने अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने हमें यह नहीं बताया है ।

Translation and Publication of Central Acts in Hindi

+

*1102. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Kachhavaiya :
Shri U. M. Trivedi :
Shri Bade :
Shri P. L. Barupal :
Shri Utiya :
Shri Yogendra Jha :
Shri B. D. Deshmukh :
Shri Mate :
Shri Mohan Swarup :
Shri S. M. Banerjee:
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :
Shri Bagri :
Shri B. N. Mandal :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Pratap Singh :
Shri Dhuleshwar Meena :
Shri D. D. Mantri :
Shri Raghunath Singh :
Shri Hari Vishnu Kamath :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the reasons for the non-publication of the Hindi versions of Central Acts prepared by the Official Language Commission in the Gazette of India so far ;

(b) the arrangements made for the immediate publication of the authoritative version of Central Acts in Hindi in order to facilitate the disposal of all the work in Hindi uniformly in all the Hindi-speaking States ; and

(c) the number of Acts translated in Hindi so far and the number of those under translation ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख) केन्द्रीय अधिनियम के हिन्दी में अनुवाद को उसका हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाने के लिये यह आवश्यक है कि उसे राज भाषा अधिनियम १९६३ की धारा ५ की उप-धारा (१) के अधीन, राष्ट्रपति के प्राधिकार से शासकीय गजट में प्रकाशित किया जाये। यह उप-धारा अभी प्रवृत्त नहीं की गई है। केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी रूपान्तरों और समान विधि शब्दावली के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया जा रहा है और केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ शीघ्र प्रकाशित करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) राजभाषा (विधायी) आयोग ने अब तक पांच केन्द्रीय अधिनियमों, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के हिन्दी रूपान्तर तैयार किये हैं। छै और अधिनियमों के हिन्दी पाठ अन्तिम रूप दिये जा ने के लिये आयोग के विचाराधीन हैं।

इस मंत्रालय का अनुवाद अनुभाग अब तक २९० केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद कर चुका है।

Shri Prakash Vir Shastri : As the hon. Minister has stated just now, the State Governments would be consulted. What does the consultation mean. Will the Government ascertain whether translation is correct or not, or whether translation should be done or not. If the intention is to ascertain whether translation is correct or not, are the people of the State Government considered to br more capable than those experts who are working here ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह सच है कि चूंकि केन्द्रीय सरकार इन अधिनियमों का अनुवाद करने के लिये उत्तरदायी है, हम राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना भी अधिनियमों के अनुवादों का सत्यापन करते हैं, किन्तु कठिनाई यह है कि सदस्य इस बात को याद करेंगे कि इस प्रश्न पर राजभाषा आयोग के सदस्यों के द्वारा भी विस्तारपूर्वक विचार किया गया था। कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों का भी उन के अपने अधिनियमों को प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करवाने का उत्तरदायित्व है। अतः जब तक उन के साथ कोई व्यवस्था नहीं की जाती, कि वे इस आयोग द्वारा अपनाई गई शब्दावलि अथवा इस आयोग द्वारा किये गये अनुवाद को स्वीकार करेंगे, तो इस बात का भय है कि केन्द्रीय अधिनियमों और राज्य अधिनियमों में दो समानान्तर शब्दों के चलने की संभावना है। अतः हमने राजभाषा आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावलि राज्य सरकारों को भेजी है। हमारे पास राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई शब्दावलि भी है, जहां कहीं बनाई गई है और आयोग के सभापति तथा सचिव राज्यों में जाते रहते हैं और उनसे परामर्श करते रहते हैं और कुछ राज्य सरकारों ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे राजभाषा आयोग द्वारा किये गये अनुवाद को स्वीकार करेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri : A person with high proficiency in law was taken from each State as a member of this commission so that all the States might have representation on this Commission. Then, why has it been considered necessary to consult the State Governments after two and a half years ? What is the real mot ve behind it ? Do Government want to postpone the matter indefinitely ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र: राज भाषा आयोग में प्रत्येक भाषा का सदस्य लिया गया है, क्योंकि इस आयोग का उत्तरदायित्व यथासंभव समूचे भारत में स्वीकार होने वाली सामान्य शब्दावलि बनाना

है, परन्तु उस के कारण राज्य सरकारें आयोग द्वारा बनाई गई प्रत्येक शब्दावलि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है। अतः हमारा उद्देश्य यथासंभव राज्यों को अपने साथ लेना है। ऐसी बात नहीं है कि हम ने काम २½ वर्षों बाद आरम्भ किया है। वास्तव में, हमने शब्दावलि परिचालित की है और भाषा आयोग के अधिकारियों ने राज्यों में जा कर राज्य सरकारों से परामर्श किया है और कुछ राज्य सरकारों ने राजभाषा आयोग द्वारा बनाई गई शब्दावलि और अनुवाद को अपनाना स्वीकार कर लिया है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much money has been spent so far on the preparation of Hindi translations of these Acts and how much is proposed to be spent in future ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : यह बताना कठिन है कि भविष्य में कितना खर्च किया जायगा, यह स्थायी आयोग है ; परन्तु यह जून १९६१ में बनाया गया था और अब तक, मैं स्मरण शक्ति के आधार पर कह रहा हूं, गत तीन वर्षों में लगभग १३ लाख रुपये व्यय हुए हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या मा० मंत्री को विदित है कि जून १९६१ में, राज भाषा आयोग नियुक्त करने के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय के संकल्प में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि अन्य बातों के साथ साथ आयोग का काम अधिकृत पाठ्य —न केवल शब्दावलि—सभी केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों तथा विनियमों का, जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किये जाते हैं, हिन्दी में तैयार करना है, और आयोग को गत मार्च में मंत्री ने बहुत प्रसिद्ध व्यक्तियों पर आश्रित उच्च सत्ता सम्पन्न आयोग बताया है। यदि हां, तो क्या उपमंत्री के उत्तर से यह समझा जाय कि राज भाषा आयोग के कामों में इस सीमा तक संशोधन किया गया है या कमी की गई है, कि अब उसे राज्य सरकारों से परामर्श करने को कहा जा रहा है ?

श्री विभुवेन्द्र मिश्र : बिल्कुल नहीं। मैं ने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने यह कहा है कि संविधियों, केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने का उत्तरदायित्व आयोग का है। राज्यों के अधिनियमों का अनुवाद करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। अतः खतरा यह है कि जब तक राज्यों से परामर्श नहीं किया जायगा, दो समानान्तर काम होते रहेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

लाख का निर्यात

*१०९०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाख की कीमतों के बारे में भारत और थाइलैंड के बीच समझौता हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते से चालू वर्ष में भारत से लाख के निर्यात पर क्या असर पड़ेगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां। थाईलैंड की लाख संस्था और भारतीय लाख निर्यातक हितों के बीच मूल्य-समन्वय के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ है, जो दोनों देशों के लिये लाभदायक होगा।

(ख) इतनी जल्दी थाईलैंड और भारत द्वारा लाख के निर्यात संबंधी इस समझौते के प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

बाल बेयरिंगों का निर्माण

***१०९७. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय विकास के अभिकरण ने नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, लिमिटेड, जयपुर को ४३ लाख डालर का ऋण बाल बेयरिंग बनाने के लिये दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मैसर्स नैशनल इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड जयपुर को, १४.५८ लाख बाल और रोलर बेयरिंग अतिरिक्त बनाने के लिये जयपुर में उन के वर्तमान औद्योगिक उपक्रम का पर्याप्त विस्तार करने के लिये एक लाइसेंस दिया गया है । इस योजना के लिये पूंजीगत माल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये, समवाय को अन्तर्राष्ट्रीय विकास के संयुक्त राज्य अभिकरण से सीधे-ऋण की बातचीत करने की अनुमति दी गई थी । समवाय ने सूचित किया है कि अभिकरण ने सिद्धान्त रूप में, ४३ लाख डालर या २.०५ करोड़ रुपये का ऋण देना स्वीकार कर लिया है ।

निर्वाचन अनर्हता का वापस लिया जाना

***१०९९. श्री प्र० के० देव :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने के कारण न्यायाधिकरण द्वारा चुनाव में खड़े होने के सम्बन्ध में श्री विद्याचरण शुक्ल पर लगाई गई छः वर्ष की अनर्हता को क्या वापस ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धारा २४० क के अन्तर्गत, निर्वाचन आयोग के पास, उसके द्वारा लिखित रूप में, कारण के लिये, किसी भ्रष्ट तरीके द्वारा लगाई गई अनर्हता को हटाने की शक्ति है । इन शक्ति का प्रयोग करके निर्वाचन आयोग ने श्री विद्याचरण शुक्ल की प्रार्थना पर, दिनांक २६ मार्च १९६४ के आदेश के द्वारा उन की अनर्हता को हटा दिया ।

राज्य व्यापार निगम

***११०३. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसा आधार अथवा श्रेणीकरण किया गया है कि जिसके आधार पर विभिन्न वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य व्यापार नियम को सौंपा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो आधार और श्रेणीकरण क्या हैं तथा यदि कोई छूट दी गई है तो क्या ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राजकीय व्यापार निगम को कुछ वस्तुओं के हस्तन का काम सौंपने के लिये निम्न मोटी बातों को ध्यान में रखना होता है :--

(१) जहां भारी हस्तन लाभ और दीर्घकालीन ठेके का काम हो ;

(२) जहां इन के द्वारा निर्यात को बढ़ाना हो--

(क) उत्पादन की व्यवस्था करना, विशेषतः निर्यात सम्बन्धी मांगों को पूरा करने के लिये ;

(ख) निर्यात लाइनों को बढ़ाना ; और

(ग) परम्परागत निर्यात के लिये बाजारों का विकास करना ।

(३) राजकीय व्यापार निगम के साथ व्यापार को बढ़ाना और विविधकरण करना और व्यापार के लिये विशेष व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करना ;

(४) कम सम्भरण की वस्तुओं का आयात तथा/अथवा वितरण ;

(५) निश्चित वस्तुओं का पर्याप्त स्टाक रख कर प्राथमिक उत्पादों का स्थिर निर्यात मूल्य कायम रखना ; और

(६) आयात के मामले में छोटे वास्तविक उपभोक्ताओं और भारी उपभोक्ताओं तथा अन्य व्यापारियों को सहायता ।

केन्द्रीय रेशम अनुसंधान संस्था

*११०४. श्री यशपाल सिंह :
श्री रामपुरे :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने देहरादून में केन्द्रीय रेशमें अनुसंधान संस्था स्थापित करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) परियोजना के कब से आरम्भ किये जाने और कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). सरकार के पास केन्द्रीय रेशम बोर्ड की ओर से ऐसी कोई सिफारिश नहीं आई ।

केरल में आम चुनाव

*११०५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में १९६५ में अगले आम चुनाव करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) अभी तक इस बात का कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया कि आया केरल विधान सभा की सामान्य अवधि को १९६५ तक बढ़ाने के लिये संसद् में कोई विधेयक पेश किया जाए ताकि केरल विधान सभा के निर्वाचन लोकसभा और अन्य राज्य विधान सभाओं के १९६७ के सामान्य निर्वाचनों के साथ साथ किये जाएं । यदि केरल विधान सभा की अवधि संसद् द्वारा संविधान के अनुच्छेद १७२ के खण्ड (१) के अन्तर्गत न बढ़ाई गई, तो केरल विधान सभा के निर्वाचन १९६५ के प्रारम्भ में होंगे । मामला विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन प्रायः पूरा हो चुका है और परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश शीघ्र ही जारी होने की सम्भावना है । निर्वाचन आयोग ने हिदायतें जारी कर दी हैं कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्वाचक नामावलियों का व्यापक संशोधन इसी वर्ष में पूरा होना चाहिये ।

आर्थिक विकास के लिए कुवैत के साथ करार

*११०६. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुवेत सरकार के साथ एक करार किया है, जिसके अधीन व्यापारी दोनों देशों में संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा, विशेषतया शर्तें, पूंजी तथा कार्य प्रणाली क्या होगी ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). भारत और कुवैत के बीच वाणिज्यिक एवं औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी संयुक्त विज्ञप्ति की प्रति, जो ३० मार्च, १९६४ को कुवैत में की गई थी, सभा पटल पर रखी जाती है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २७४५/६४] दोनों देशों के सम्बन्धित दलों का काम संयुक्त प्रयत्न की प्रत्येक योजना के लिये शर्तें और निबन्धन बनाना है ।

उत्पादन प्रोत्साहन बोनस योजना

*११०७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के विभिन्न इस्पात कारखानों ने अपने कर्मचारियों का उत्पादन प्रोत्साहन बोनस की व्यवस्था करना स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन कारखानों में तथा किन शर्तों पर; और

(ग) इन बोनस योजनाओं के अधीन कारखानों के कितने कर्मचारी आ जायेंगे ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात सन्यन्त्र उत्पादन बोनस योजना के अन्तर्गत आते हैं। योजना ११००–१४०० रुपये तक और इसको मिला कर ग्रेडों के सभी कर्मचारियों के लिये, जिनका वास्तव में उत्पादन प्रक्रियाओं से सम्बन्ध होता है, उत्पादन प्रोत्साहन का उपबन्ध है। प्रारम्भ में, प्रोत्साहन आय दो भागों में थी—एक भाग विभाग के अपने उत्पादन पर निर्भर था और दूसरा भाग इस्पात ढलाई कुशन के उत्पादन पर। प्रोत्साहन का अनुमान लगाने के लिये, इस्पात ढलाई कुशन को मिलाने का काम अब बन्द कर दिया गया है और प्रोत्साहन भुगतान योजना में आने वाले प्रत्येक वर्ग के उत्पादन प्रयत्नों पर निर्भर करता है।

(ग) लगभग ४०,००० ।

न्यूयार्क विश्व मेला

***११०८. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री २८ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८७ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा पटल पर विवरण रखने की कृपा करेंगे, जिसमें यह बताया गया हो कि :

(एक) चुने गये व्यक्तियों के नाम, उनकी अर्हतायें तथा पूर्व अनुभव और उनके माता पिता अथवा अविभावकों के नाम ;

(दो) चुने गये व्यक्तियों के लिए भारत में अभिस्थापन पाठ्यक्रम की अवधि तथा अन्य विवरण ;

(तीन) मेले में उनके कर्तव्य तथा कृत्य तथा अमरीका में उनके ठहरने की अवधि; और

(चार) गाइड्स तथा कर्मचारियों की नियुक्ति पर खर्च होने वाली अनुमानित विदेशी मुद्रा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (एक) और (दो). विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—२७४६/६४]** ।

(तीन) गाइडों को भारतीय पंडाल में स्टाल अटैंडेंट का काम करना पड़ता है और वे दर्शकों को पंडाल में घुमाने में मार्ग दर्शन करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे और पंडाल में रखी गई वस्तुओं की व्याख्या करेंगे। संयुक्त राज्य अमरीका में वे मेले के पहले सत्र के कुल १८० दिन रहेंगे और मेले के सत्र के प्रारम्भ से पूर्व और अन्त होने के पश्चात् लगभग तीन सप्ताह रहेंगे।

(चार) बीस गाइडों के लिये, कुल अनुमानित व्यय लगभग ३.५ लाख रुपये होगा। अन्य कर्मचारियों के लिये होने वाला व्यय उनके ठहरने और वेतन तथा भत्तों आदि पर निर्भर होगा। यह व्यय दो वर्षों के लिये इस शीर्ष के अन्तर्गत प्रतिवर्ष ६ से ७ लाख रुपये की कुल व्यवस्था में से पूरा किया जाएगा।

उड़ीसा में दस्तकारी उद्योग

२२५८. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३–६४ में उड़ीसा में दस्तकारी उद्योग के विकास के लिये राज्य सरकार को केन्द्र द्वारा कितनी राशि दी गई है; और

(ख) १९६४–६५ में उक्त कार्य के लिये उस राज्य को कितनी राशि दिये जाने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९६३–६४ में दस्तकारी के विकास के लिये उड़ीसा सरकार के ८५,००० अनुदान और ८९,००० रुपये का ऋण मंजूर किया गया था।

(ख) १९६४–६५ के लिये अनुमोदित परिव्यय ५.८७ लाख रुपये है।

Legal Assistance to the Poor

2259. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the State-wise annual break-up of poor persons who were given legal assistance from 1950-51 to 1962-63;

(b) the definition of 'Poor' in each State; and

(c) the steps proposed to be taken during the remaining period of the Third Plan to make justice within the reach of the poor?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra): (a) Administration of legal aid to the poor is the responsibility of the State Governments. The information required is not available with the Central Government. It is being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House as soon as it is available.

(b) Schemes for legal aid to the poor including members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have, so far as we are aware, been framed by seven State Governments in and after the year 1958. The definition of 'Poor' in the schemes of States of Kerala and Punjab and one of the schemes of Maharashtra which are applicable to all persons, is, as far as we are aware, as under:—

Kerala

'Poor person' means a person certified by the court or such officer as the Government may authorise, as not having an average monthly income exceeding Rs. 100.

Maharashtra

'Poor person' means a person certified to be so poor by the Court as not having the means to engage a pleader of his own for the conduct of his case, appeal, original petition of revision before the Court or answering such other condition, if any, as Government may prescribe.

Explanation:—A person whose average yearly income is not more than Rs. 1800/- (Eighteen hundred rupees) shall be considered to be poor for the purposes of these rules.

ınjab

'Poor person' means a person who is certified by an officer appointed by the State Government in this behalf to be a person whose average monthly income does not exceed one hundred rupees.

(c) Administration of justice is the responsibility of the State Governments. So far, however, as procedural laws, e.g the Civil Procedure Code and the Criminal Procedure Code, are concerned, steps are being taken by the Law Commission to revise them.

सूत का उत्पादन

२२६०. { श्री जेधे :
श्री लोनीकर :
श्री मा० ल० जाधव :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलें तन्तुक (स्टेपल फाइबर) के लिए अधिकाधिक तकवे लगा रही है ;

(ख) यदि हां, क्या इसका सूत के उत्पादन पर, जिसकी पहिले ही कमी है, असर पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं मिलों को अपने सूत बनाने के तकवों को एक सीमित मात्रा में ही तन्तुक (स्टेपल फाइबर) बनाने की अनुमति दी जाती है।

(ख) और (ग) सूत के सम्भरण की स्थिति सन्तोषजनक है और इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

कपड़े के मूल्य

२२६१. { श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेधे :
श्री लोनीकर :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिलों में बने कपड़े के मूल्य विद्युत् करघें और हथकरघे से निर्मित कपड़े के मूल्यों की अपेक्षा सदैव अधिक होते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिल क्षेत्र द्वारा शर्टिंग, पापलीन, ड्रिल, गैबरडीन, लान्स, अरगेनडीज आदि किस्में बहुत ऊंचे मूल्य पर बेचे जाते हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा मिलों द्वारा लिये जाने वाले मूल्यों को कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) मिल के कपड़े और विद्युत् चालित करघों तथा हथकरघों से बनाये गये कपड़ों के मूल्य में प्रत्यक्ष रूप से कोई समानता करना सम्भव नहीं है। क्योंकि निर्माण क्षेत्र सामान्यतः भिन्न है और कपड़ा, उसकी फिनिश आदि भी भिन्न होते हैं।

(ख) और (ग). यह बताया गया है कि कुछ केन्द्रों में नफीस किस्म की चीजों को पसन्द करने वाले खरीदारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोकप्रिय कपड़े पर बहुत लाभ हो रहा है। लेकिन जब से कपड़ा उद्योग ने सितम्बर, १९६० में स्वेच्छ मूल्य विनियम योजना लागू की है, खरीदारों को कपड़ा छपे हुए मूल्य पर मिल रहा है। आपातकाल में मूल्य सीमा बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत उचित मूल्यों की दुकानों और उपभोक्ता सहकारी समितियों को एक्स-मिल दर पर कपड़े के सीधे सम्भरण की व्यवस्था की गई। नवम्बर, १९६३ में स्वेच्छा मूल्य विनियम योजना के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए और इसको अधिक कार्यकारी बनाने के लिए सुधार सम्बन्धी सुझाव देने के लिए कपड़ा आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

कपड़ा उद्योग में रोजगार

२२६२. श्री मा० ल० जाधव :
श्री जेबे :
श्री लोनीकर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के किन साधनों की व्यवस्था की गयी है और प्रत्येक क्षेत्र में कितने व्यक्ति रोजगार पर लगे हुए हैं ;

(ख) विभिन्न केन्द्रों से प्रत्येक क्षेत्र में कितनी औसत मासिक आय होती है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क)

क्षेत्र	रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या
संगठित सूती मिल उद्योग . . .	९ लाख ५६ हजार
हथकरघा उद्योग (सूती और अन्य रेशों का) .	५० लाख (अनुमानित)
शक्तिचालित करघा उद्योग (सूती और गैर-सूती .	३ लाख (अनुमानित)

विभिन्न क्षेत्रों में वास्तविक रोजगार कितना है और रोजगार के साधनों की क्या व्यवस्था है इनका अनुमान लगभग इसी के बराबर लगाया जा सकता है।

(ख) रुपयों में औसत वार्षिक आय के सम्बन्ध में भारतीय श्रमिक सांख्यिकी, १९६४ तथा भारतीय श्रमिक वर्ष-पुस्तक, १९६२ में जानकारी दी हुई है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों में जो जानकारी उपलब्ध है उसके अतिरिक्त सरकार के पास और कोई जानकारी नहीं है।

मुद्रण उद्योग

२२२३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ सदस्यों वाले उत्पादिता दल ने इंगलैंड, अमेरिका और जापान में अध्ययन के लिये किये गये दौरे के सम्बन्ध में दिये गये अपने प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया है कि भारत में मुद्रण उद्योग की आयात सम्बन्धी आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन की जांच की जा रही है।

आसाम में सीमेंट के कारखाने

२२६४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री दिनांक १३ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में सीमेंट के दो कारखानों की स्थापना करने के लिये इस बीच लाइसेंस दे दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो लाइसेंसों की शर्तों के अनुसार इन कारखानों की स्थापना कब की जानी है ; और

(ग) प्रत्येक कारखाने की पूंजी लागत कितनी है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) आसाम के दो स्थानों बोकाजान और जोवाई में सीमेंट के कारखानों की स्थापना के हेतु औद्योगिक लाइसेंसों के दिये जाने के लिये एक गैर-सरकारी संस्था से आये दो प्रार्थनापत्रों को अस्वीकार कर दिया गया है। बोकाजान योजना को आगे चलाने में प्रार्थी की अभिरुचि नहीं थी और जहां तक जोवाई का सम्बन्ध है, राज्य सरकार का स्वयं ही गरमपानी नामक स्थान के निकट एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने का विचार है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

२२६५. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तयार माल को बाहर ले जाने के लिये पर्याप्त संख्या में रेल के डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन रुका पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यूजीलैंड का अन्तर्राष्ट्रीय मेला

२२६६. { **श्री प्र० चं० बरुग्रा :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में न्यूजीलैंड में होने वाले दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मेले में सरकार ने भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भारत की आर्थिक स्थिति और उद्योग के किन पहलुओं का प्रदर्शन किया जायेगा ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) योजना के हमारे प्रचार के अतिरिक्त, निम्नलिखित वस्तुओं के मोटे मोटे प्रवर्गों की प्रदर्शनीय वस्तुयें उसमें दिखाई जायेंगी :—

(१) मशीनें, इंजीनियरी की वस्तुयें और परिवहन उपकरण, धातु निर्मित वस्तुयें, लोहे से निर्मित वस्तुयें, निर्माण सम्बन्धी लोहे की बनी वस्तुयें आदि (केवल कुछ विशिष्ठ मद)।

(२) निर्मित (उपभोक्ता और मिलीजुली) वस्तुयें।

(३) कच्चा माल और अर्ध-निर्मित औद्योगिक वस्तुयें।

(४) खाद्य पदार्थ और सम्बन्धित वस्तुयें।

(५) रसायन तथा रंग और औषधियां तथा सम्बन्धित वस्तुयें आदि। और हमारा एक वाणिज्यिक प्रचार तथा सूचना विभाग भी होगा जिसमें पर्यटन तथा अन्य प्रकाशन भी उपलब्ध होंगे।

लाहौल और स्पिती के ऊन व्यापारी

२२६७. **श्री हेमराज :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाहौल और स्पीती के पश्मीना ऊन व्यापारियों ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से यह प्रार्थना की है कि वे उनकी ऊन और पश्मीना की वस्तुओं की बिक्री कर दें ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां।

(ख) आयोग ने अपनी समस्त आवश्यकताओं की वस्तुओं को उनसे खरीदने की व्यवस्था कर ली है, हालांकि उनकी आवश्यकतायें ऊन और पश्मीना वस्तुओं के इन व्यापारियों के पास उपलब्ध वस्तुओं की तुलना में बहुत कम हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बम्बई

२२६८. **श्री राम हरखयादव:** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में भारत के पहले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को करने के अखिल भारतीय निर्माता संगठन के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो मेले के कब होने की संभावना है ; और

(ग) क्या बाहरी देश और भारत के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कम्पनियां भी इस मेले में भाग लेंगी ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सरकार ने इस संगठन को और अखिल भारतीय निर्माणकर्ता संगठन के द्वारा बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उद्योग मेले को आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

(ख) यह मेला दिसम्बर, १९६५–१९६६ में होगा ।

(ग) एसी संभावना है कि भाग लेंगे ।

विदेशों में भारत के प्रदर्शन-कक्ष¹ तथा व्यापार केन्द्र

२२६९. **श्री रामहरख यादव :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारत के प्रदर्शन कक्षों और व्यापार केन्द्रों में बारी-बारी से वस्तुओं के प्रदर्शन में अपनी व्यापार वस्तुओं का प्रदर्शन करने के लिये भारतीय निर्माणकर्ताओं और निर्यातकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशों में भारत सरकार के प्रदर्शन कक्षों/व्यापार केन्द्रों में बारी-बारी से वस्तुओं का प्रदर्शन करने का वार्षिक कार्यक्रम साथ संलग्न विवरण में दिया हुआ है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--२७४७/६४]**

नरम इस्पात की चादरें

२२७०. **श्री शशिरंजन :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कुल कितनी नरम इस्पात की काली चादरों (गरम और ठंडी वेल्लित) का निर्माण किया जाता है ; और

(ख) (१) प्रतिरक्षा ; (२) रेलवे ; (३) सिंचाई और विद्युत् ; (४) खनन ; (५) निर्यात ; (६) अन्य प्रयोजनों के लिये कुल कितनी मात्रा में ये आवंटित की जाती हैं ?

¹Show Rooms

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) लगभग ३,३१,००० मीट्रिक टन ; और

(ख) १९६३–६४ में केवल १४ गौज से पतली चादरों का ही आवंटन किया गया था जो कि निम्न प्रकार है :—

	(हजार मीट्रिक टनों में)
(१) प्रतिरक्षा .	४२.६८
(२) रेलवे .	३०.००
(३) सिंचाई और विद्युत	२.४०
(४) खनन . . .	कोई पथक आवंटन नहीं किया गया।
(५) निर्यात (नैपाल को) .	१.००
(६) अन्य प्रयोजन	४०४.८१
	४८०.८९

क्रयादेश समय पर न दिये जाने के कारण अभ्यंश व्ययगत न होने पाय इसलिये अधिक आवंटन किया गया था और उसके लिये आयात में से भी कुछ भाग दिया जायेगा।

मैसूर राज्य में लौह अयस्क का निक्षप

२२७१. **श्री रामपुरे**: क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य के बिडार जिले में लौह अयस्क का एक बड़ा निक्षेप पाया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र . वं० सेठी) : (क) जी. नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक समान व्यवहार सहिता[1]

२२७२. { **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक समान व्यवहार संहिता के बारे में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का सरकार का विचार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ४४ में उल्लिखित है ;

[1]Uniform Civil Code

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अनुच्छेद ४४ में उल्लिखित एक समान व्यवहार संहिता से यह अर्थ सूचित होता है कि सभी प्रकार की व्यवहार विधियां एक समान रूप से सभी व्यक्तियों पर लागू होनी चाहियें चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के हों। व्यवहार प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और मानवीय कार्यकलापों के क्षेत्र से सम्बन्धित अन्य अनेक विधियां जैसे सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ऋणशोधाक्षमता अधिनियम, पंचनिर्णयन अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, परिसीमन अधिनियम और वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, समवायों, साझेदारी आदि जैसे विषयों से सम्बन्धित समय समय पर पारित अनेक विधियां समान रूप से सभी नागरिकों पर लागू हैं। हिन्दू विधियों का संहिताकरण, जिसमें बौद्धों, सिक्खों और जैनियों की विधियां भी आती हैं, एक समान व्यवहार संहिता को बनाने की ओर उठाया गया एक दूसरा कदम है। विधि आयोग ने अपने पन्द्रहवें और बाईसवें प्रतिवेदनों में जो सिफारिशें की हैं उनके आधार पर भारत के ईसाइयों के विवाह तथा विवाह सम्बन्धी विवादों से सम्बन्धित विधियों का संशोधन तथा संहिताकरण करने वाला एक विधेयक लोक सभा में लम्बित है।

इससे यह प्रकट होता है कि संविधान के अनुच्छेद ४४ में दिये गये सिद्धान्तों का विधियां बनाते और लागू करते समय भारत सरकार द्वारा निरन्तर ध्यान रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योग

२२७३. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३-६४ में उत्तर प्रदेश की जन संख्या को रखते हुए छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये वास्तव में जितने कच्चे माल की आवश्यकता थी उसकी अपेक्षा कच्चे माल का थोड़ा कोटा दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) विभिन्न राज्यों के छोटे पैमाने के उद्योगों को नियंत्रित कच्चे माल का आवंटन जनसंख्या के आधार पर नहीं किया जाता रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Grease-proof Paper Manufacture

2274. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that in one of its experiments the Forest Research Institute, Dehra Dun has prepared a formula for manufacturing grease-proof paper;

(b) if so, when it would be possible to produce grease-proof paper from hemp reed sticks;

(c) the extent of requirements for paper of this category; and

(d) whether any foreign exchange will be earned from producing this paper indigenously?

The Minister of Industry (Shri Kanungo): (a) and (b) : The Forest Research Institute has found several materials, like bamboo, bagasse, jute sticks and rice straw suitable for manufacture of grease-proof paper, and has produced such papers from such raw materials. It has, however, not produced grease-proof paper from hemp reed sticks.

(c) About 3,000 tons per year.

(d) No, Sir. However, there will be saving of foreign exchange on imports to the extent of about Rs. 30 lakhs.

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोयला धोने का कारखाना

२२७५. **श्री राम सहाय पाण्डेय :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोयला धोने के कारखाने की क्षमता के बढ़ाये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो क्षमता कितनी बढ़ायी जायेगी तथा उस का अनुमानित व्यय कितना है ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालयम में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) और (ख) वर्तमान प्रसार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में कोयले धोने के कारखाने की कुल क्षमता नहीं बढ़ाई जा रही है। तथापि कोयला धोने के कारखाने की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिये, कुछ परिवर्तन किये जा रहे हैं और लगभग ३० लाख २० हजार रुपये की लागत पर सन्तुलन स्थापित करने वाले उपकरण की व्यवस्था की जा रही है।

भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के लिये उत्पादन बोनस

२२७६. **श्री दी० च० शर्मा :** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रबन्धकों और इन्टक से सम्बद्ध इस्पात कर्मचारी संघ के बीच एक करार हुआ है जिस के अनुसार कर्मचारियों को उत्पादन बोनस दिया जायेगा तथा जिसे उत्पादन प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है और उस के अधीन कितने कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० च० सेठी) : (क) जी

(ख) ११००–१४०० रुपये तक के पदक्रमों और इस पदक्रम में आने वाले सभी कर्मचारियों का, जो कि उत्पादन प्रक्रिया में वास्तव में भाग लेते हैं, उत्पादन प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था इस योजना में है। प्रारम्भ में प्रोत्साहन आय के दो भाग थे—पहला भाग विभाग के निजी उत्पादन पर आधारित था तथा दूसरा स्टील मेल्टिंग शाप के उत्पादन पर आधारित था। प्रोत्साहन बोनस की गणना करने के लिये अब स्टील मेल्टिंग शाप के उत्पादन को मिलाना बन्द कर दिया गया है और प्रोत्साहन बोनस योजना के अधीन आने वाले प्रत्येक वर्ग के उत्पादन के आधार पर दिया जाता है। तंत्र में हुए समझौते के अनुसार, कर्मचारियों के कुछ और वर्ग भी योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। इस समय इस योजना के अधीन कुल १६,५६३ कर्मचारियों को लाभ पहुंचता है।

एकस्व समिति[1]

२२७७. **श्री बी० चं० शर्मा :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य पदार्थों और औषधियों के सम्बन्ध में एकस्वों को देने के प्रश्न की नये सिरे से जांच करने के लिये हाल ही में एक समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन कौन हैं; तथा उस का कार्य-क्षेत्र क्या है; और

(ग) अपना प्रतिवेदन पेश करने के लिये समिति को कितना समय दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग) एकस्वों से सम्बन्धित वर्तमानविधि पुनरीक्षण करने का प्रश्न अभी तक सरकार के विचाराधीन है और सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य समिति को नहीं सौंपा गया है ।

Geological Survey in Mirzapur Distt.

2278. **Shri Ram Swarup:** Will the Minister of **Steel, Mines and Heavy Engineering** be pleased to state:

(a) the date from which survey is being conducted in District Mirzapur of U.P. by the Geological Survey of India; and

(b) the minerals and other valuable deposits found so far as a result oft he survey?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel, Mines and Heavy Engineering (Shri P. C. Sethi): (a) The geological work commenced as early as the latter half of the 19th century but detailed geological and mineral investigations were started only in 1941.

(b) As a result of the survey work carried out so far, workable deposits of coal, limestone, poor grade iron or e and small andunimportant occurrences of calcite, clays, andalusite, asbestos, mica, agates and jasper have been recorded.

Export Price of Lac

2279. **Shri Ram Sewak Yadav:** Will the Minister of **International Trade** be pleased to state:

(a) whe her Government have fixed the export prices of lac;

[1]Committee on Patents.

(b) if so, the basis on which the prices have been fixed; and

(c) the steps taken to check the fall in the prices?

The Minister of International Trade (Shri Manubhai Shah): (a) &(b): The export prices of lac are fixed by the Indian Lac Exporters Association taking into account the volume and cost of production as well as international factors such as demand and supply in the consuming countries. These prices are approved by the Government.

(c) Exports are not permitted below these approved prices. The internal price is also stabilised by the operation of a Buffer Stock Scheme by the State Trading Corporation.

संगमरमर और लोह अयस्क के निक्षेप

२२८०. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय:** क्या इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महेन्द्रगढ़ जिले (पंजाब) में संगमरमर और लौह अयस्क के निक्षेप हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन के क्या ब्यौरे हैं ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) महेन्द्रगढ़ जिले में छपरा, अत्री, बिहारीपुर और जैनपुर के निकट एक पर्वतश्रेणी के पहलुओं पर लौह अयस्क की पट्टियां पाई गई हैं। अनुमानित भण्डार २० लाख ३ हजार मीट्रिक टन के हैं तथा इस में ६३.७५ प्रतिशत लोहा है। धनोटा और धन्चोली में भी लौह-अयस्क के होने का पता लगा है जिस के भण्डारों के बारे में .५०८ मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जाता है, जिस में कि ६४.८१ से ६७.१५ प्रतिशत तक लोहा होगा।

कामनियां, छपरा, अंत्री, बिहारीपुर, मंडी और दातला में संगमरमर के होने का पता लगा है। इस में सिलिका १४ प्रतिशत है तथा मैगनेशिया ४ प्रतिशत।

उत्तर प्रदेश में कपड़े का उत्पादन

२२८१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में उत्तर प्रदेश में ऊनी तथा खादी के कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि में उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड को कितना अनुदान दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) ४६ लाख ९५ हजार मीटर (सितम्बर, १९६३ तक)

(ख) ९५ लाख ६६ हजार रुपये।

Small Scale Industries Corporation

2282. **Shri Vishwa Nath Pandey:** Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Small Scale Industries Corporation have decided to conduct a scientific survey of the capacity of small scale industrial units and the raw materials required by them;

(b) if so, whether a Committee would be set up by Government for the purpose; and

(c) if so, when?

The Minister of Industry (Shri Kanungo): (a) The Central Small Industries Organisation (not the Small Scale Industries Corporation) have initiated a programme of assessing the capacities of Small Scale units on a uniform and scientific basis in all the States. Under this programme the capacities will be first assessed by the State Directors and verified, on a sample basis, by Small Industries Service Institute in each State. To begin with, capacities in respect of non-ferrous metals will be assessed and thereafter ferrous metals will be taken up.

(b) There is no proposal to set up a Committee for the purpose.

(c) Does not arise.

पंजाब के लियें लोहा तथा इस्पात

२२८३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में पंजाब को कुल कितनी मात्रा में लोहा तथा इस्पात आवंटित किया गया था; और

(ख) १९६४-६५ में उस राज्य को इस की कुल कितनी मात्रा दी जायेगी ?

इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) **इस्पात :** १९६३-६४ में केवल १६ से २० गौज वाली ठंडी वेल्लित काली सादी चादरों का आवंटन किया गया था। उस अवधि में पंजाब को कुल २१,५२७ मीट्रिक टन चादरें दी गयी थीं। गैल्वनीकृत नालीदार और गैल्वनीकृत सादा चादरें इसलिये नहीं दी गयीं क्योंकि उत्पादकों के पास पहिले से यह बहुत मात्रा में पड़ी हुई थीं। इस के अतिरिक्त और किसी प्रकार की चादरें नहीं दी गयीं।

कच्चा लोहा : राज्य सूची के (छोटे पमाने के) ढलाईघरों को ४२,६२० मीट्रिक टन कच्चा लोहा आवंटित किया गया था।

(ख) १९६४-६५ के लिये आवंटन अभी नहीं किया गया है।

625 (Ai) LSD—4.

उड़ीसा में कांच की वस्तुओं का निर्माण

२२८४. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री दिनांक ३० अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कांच की बनी हुई वस्तुओं का निर्माण करने से सम्बन्धित मामले की इस बीच जांच कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में लघु उद्योग

२२८५. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्था ने १९६३-६४ में लघु उद्योगों को किस प्रकार की सहायता दी है;

(ख) उस के ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) १९६३-६४ में (फरवरी, १९६४ तक) लघु उद्योगों को दी गई सहायता का स्वरूप तथा उस के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

(१) कारखानों में दौरों की संख्या	४८२
(२) जिन पक्षों को प्रविधिक सलाह दी गई उन की संख्या . .	३८९
(३) जिन पक्षों को नये उद्योग प्रारम्भ करने के लिये जानकारी दी गई उन की सख्या	१९६
(४) जिन पक्षों को अन्य सहायता दी गई उन की संख्या .	४००

उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां

२२८६. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जनवरी, १९६४ को उड़ीसा में कितनी औद्योगिक नहकारी ससितियां कार्य कर रहीं थीं; और

(ख) वह समितियां किस प्रकार की हैं और उन की उत्पादन क्षमतायें कितनी हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICE (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : ४, ५ दिन पहले हावड़ा एक्सप्रैस के पटरी से उतर जाने के बारे में एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी गयी थी। समझ में नहीं आया कि उस के लिये अनुमति क्यों नहीं दी गयी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कई बार कहा है कि यदि माननीय सदस्यों के इस विषय पर कुछ कहना हो तो वह मुझे मिल सकते हैं, इस के बावजूद भी वह इस तरह बाधा डालते हैं। मझे जब तक तथ्यों की जानकारी न हो, कैसे उत्तर दे सकता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री को सब कुछ मालूम है।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति देना तो मेरा काम है न कि रेलवे मंत्री का।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दक्षिण रेलवे के गुन्टूर-माचर्ला सैक्शन पर रेल दुर्घटना

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय शोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"१३ अप्रैल, १९६४ को दक्षिण रेलवे के गुन्टूर माचर्ला भाग पर रेलवे दुर्घटना जिसके परिणामस्वरुप एक यात्री की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य घायल हो गये।"

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): १३-४-१९६४ को लगभग ५ बज कर ४० मिनट पर जब ११२७ अप गण्टूर-माचर्ला मिली जुली सवारी गाड़ी दक्षिण रेलवे के गुण्टूर-माचर्ला मीटर गेज शाखा लाइन खंड के पिडगुरल और नड़िकूड़े स्टेशनों के बीच जा रही थी, तो मील नं० ५५०/१५ पर उस के ६ माल डिब्बे और २ सवारी डिब्बे उलट गये और अन्य तान सवारी डिब्बे पटरी से उतर गये ।

इस दुर्घटना में एक महिला यात्री की मत्यु हो गयी और अन्य १८ यात्रियों को मामूली चोटें पहुंचीं। घायलों में से १५ व्यक्तियों को दक्षिण रेलवे के डिवीजनल मैडिकल अफसर द्वारा मरहम-पट्टी करने के बाद जाने दिया गया। बाकी तीन घायल व्यक्तियों को रेन्टचिन्तल के अस्पताल में भेज दिया गया। रिपोर्ट मिली है कि उन की हालत संतोषजनक ढंग से सुधर रही है।

[श्री प्र० रं० चक्रवर्ती]

दुर्घटना की पहली सूचना मिलने के तुरन्त बाद दक्षिण रेलवे के चीफ आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेंट और डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट सड़क द्वारा दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हो गये। वहां पहुंचते ही उन्हों ने दुर्घटना स्थल और घायल व्यक्तियों को देखा।

मृतक के निकट सम्बन्धी को अनुग्रह के रूप में आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गयी है।

इस दुर्घटना की वजह से गाड़ियों का जो आना जाना रुक गया था, उसे १४-४-१९६४ दोपहर तक फिर से चालू कर दिया गया।

अतरिक्ति कमिश्नर, रेलवे सुरक्षा, बेंगलूरू ने १५-४-१९६४ को इस दुर्घटना की सांविधिक जांच शुरू कर दी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार का विचार इन घटनाओं के ठोस कारणों की जांच करने का है।

श्री सें० वें० रामस्वामी रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त इस दुर्घटना की जांच कर रहा है और उसके प्रतिवेदन की हम प्रतीक्षा करेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

काफी अधिनियम, १९४२ के अन्तर्गत अधिसूचना

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) मैं ४ अप्रैल, १९६४ को, काफी अधिनियम, १९४२ की धारा ४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ५५७ में प्रकाशित काफी (संशोधन) नियम, १९६४ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७३६/६४]**

इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के अन्तर्नियम और प्रतिष्ठान-ज्ञापन पत्र

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के अन्तर्नियम और प्रतिष्ठान-ज्ञापन पत्र की एक एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७३७/६४]

(२) वर्ष १९६२–६३ के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० २७३८/६४]

सिलाई की मशीनों के पुर्जों के निर्माण के लिये सुन्दरम एण्ड कम्पनी को लाइसेंस दिये जाने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* : GRANT OF LICENCETO SUNDARAM & COMPANY FOR MANUFACTURE OF SEWING MACHINE PARTS.

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : १ अप्रैल, १९६४ को श्री स० मो० बनर्जी द्वारा सम्भरण तथा तकनीकी विकास विभाग सम्बन्धी मांगों पर बोलते हुए कुछ आरोप लगाये गये जिनका उत्तर देना मेरे लिये वांछनीय है।

माननीय सदस्य का यह कथन, कि जब मैं आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्रालय का था तो सुन्दरम एण्ड कम्पनी नामक एक सार्थ को सिलाई की मशीनों के पुर्जे बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया था, गलत है। मुझे इस लाइसेंस के बारे में कुछ मालूम नहीं है। जांच करने पर मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार के निर्देश के उत्तर में श्री बूथालिंगम ने बताया था कि पुर्जे बनाने सम्बन्धी मामले को औद्योगिक लाइसेंसिंग समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

यह आरोप लगाया गया कि मैंने इस मामले में काफी दिलचस्पी ली थी। इस मामले का सम्बन्ध उद्योग मन्त्रालय से जो अन्य मंत्रालयों के परामर्श से निर्णय लेता है। वित्त मन्त्रालय को ऐसे मामले तभी निर्दिष्ट किये जाते हैं जब विदेशी सहयोगिता निहित होती है।

विदेशी भागिता के सिलसिले में ही इस मामले की फाईल वित्त मन्त्रालय में आई थी। चूंकि इस मामले में एक विशेष अमरीकी सार्थ के साथ सहयोगिता का प्रश्न था इसलिये मेरे पूर्वाधिकारी ने निर्णय दिया था कि इस बारे में उनके आदेश लिये जायें। इस कारण यह मामला आर्थिक कार्य विभाग द्वारा, उद्योग मन्त्रालय की सिफारिश के साथ, मेरे पास भेजा गया। वह फाईल मेरे पास २४-१२-६३ को आई, जिस पर मैंने लिखा था कि चूंकि सिंगर मशीनों के भारतीय भागीदार मेरे निकटतम मित्र हैं इसलिये मैं स्वयं इस मामले में कोई निर्णय नहीं लेना चाहता, अतः प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया जाय कि वह यह मामला किसी अन्य मन्त्री के पास भेज दें।

उसके बाद क्या हुआ इस बारे में मालूम नहीं था। यह आरोप लगाये जाने पर मैंने रिकार्ड देखा तो मालूम हुआ कि स्वयं प्रधान मन्त्री ने १-१-१९६४ को उद्योग मन्त्रालय की सिफारिश का अनुमोदन करते हुए उस फाईल को निबटाया था।

इन तथ्यों की दृष्टि से मुझे आशा है कि मेरे तथा श्री बूथालिंगम पर लगाये गये आरोपों को सभा मान्यता नहीं देगी। इस प्रकार के गलत आरोपों से मन्त्री के सम्मान को आघात पहुंचता है। यह सभा तथा अध्यक्ष महोदय, मेरा मार्ग दर्शन करें कि ऐसे निराधार आरोप लगाने वाले व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार किया जाय।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैंने वित्त मन्त्री के विरुद्ध कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया था। मैंने अपनी सूचना के आधार पर केवल यह कहा था कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने सम्बद्ध प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और श्री बूथालिंगम् के जरिये इस विशेष फर्म को प्राथमिकता दिलाई गई थी। किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप न लगाते हुए मैंने इस बारे में जांच करने के लिये कहा था चूंकि इस विशेष मामले में सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस मामले को प्रधान मन्त्री के पास भेजने की क्या जरूरत थी? अब इस बारे में निर्णय सभा को लेना है। मैंने जो बात कही थी वह मूल रूप से सच थी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को चाहिए कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी मन्त्री पर आरोप लगाने से पहले वह उचित जानकारी प्राप्त किया करें, चूंकि इस तरह से सरकार की प्रतिष्ठा कम होती है। मैंने इस विषय में माननीय सदस्य को कहा था कि वह मुझे मिलें परन्तु वह नहीं आये।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तीन बार आप से मिलने के लिये आया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि वह तीन बार आये और मैं नहीं मिला। परन्तु मैं काफी समय अपने कार्यालय में व्यतीत करता हूं। जो माननीय सदस्य मुझे मिलना चाहें वह आ सकते हैं। मैंने काफी दिन माननीय सदस्य की प्रतीक्षा करने के पश्चात् माननीय मन्त्री से वक्तव्य देने के लिये कहा था।

माननीय मन्त्री चाहते हैं कि मैं उनका मार्ग दर्शन करूं। इस बारे में स्थिति स्पष्ट है। माननीय मन्त्री ने स्वयं निर्णय देने की बजाय यह मामला प्रधान मन्त्री के सुपुर्द कर दिया, चूंकि सम्बद्ध फर्म वाले उनके मित्र थे। यदि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी हो जाती तो यह स्थिति उत्पन्न न होती। बेहतर यही है, कि किसी प्रकार के आरोप लगाने से पहले माननीय सदस्य सम्बद्ध मन्त्री को लिखें, पूरी जानकारी प्राप्त करें, और फिर यदि वह सन्तुष्ट न हों तो वह आरोप लगा सकते हैं और वक्तव्य दे सकते हैं। परन्तु पहले तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : (बैरकपुर) : यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि यदि सम्बद्ध फर्म का नाम प्राथमिकता-सूची में नहीं था तो वित्त मन्त्री ने इस प्रस्ताव को तुरन्त अस्वीकार करने की बजाय इसे प्रधान मन्त्री के पास क्यों भेजा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : अब माननीय सदस्या एक अन्य आरोप लगाने की कोशिश कर रही हैं। वास्तव में प्राथमिकता आदि के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। फाईल मेरे पास आई थी और मैं स्वयं उस पर निर्णय लेना ही चाहता था इसलिये मैंने उसे प्रधान मन्त्री के पासाभेज दिया।

श्री रंगा (चित्तूर): यदि मन्त्री जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं तो यह बात सदस्यों पर भी लागू होती है। मैं चर्चाधीन मामले की जानकारी तो नहीं रखता परन्तु भूतकाल के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कई बार तथ्यों को पहले सुनिश्चित करना कठिन होता है और सदस्य सभा में आरोप लगाने पर मजबूर होते हैं। पीछे एक ऐसा मामला भी सभा में आया था जिसमें बाद में साबित हो गया था कि सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप ठीक थे और उसके परिणामस्वरूप सम्बद्ध मन्त्री को त्याग पत्र देना पड़ा था। यह ठीक है कि किसी माननीय सदस्य को किसी बात को अनुचित प्रकार से तूल नहीं देना चाहिए और इस बारे में आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। किसी सदस्य को जान बूझ कर और बुरे भाव से आरोप नहीं लगाने चाहियें यह भी ठीक है। परन्तु किसी एक मामले में आरोप ठीक भी सिद्ध हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल यह कहा है कि वक्तव्य देने से पहले तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की जानी चाहिए थी।

श्री स० मो० बनर्जी : यदि हम कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम पत्र लिख सकते हैं। यह एक व्यक्तिगत मामला न हो कर एक कारखाने से सम्बन्ध मामला था। यदि हम यह चाहें कि संसद के समक्ष कुछ तथ्यों के प्रस्तुत किया जाय तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो केवल यही कहा है कि पहले तथ्यों को जानने के लिये प्रयत्न किया जाय, फिर कोई बात कही जाय। यदि माननीय सदस्यों को बात कहने की स्वतन्त्रता है तो उनका कुछ उत्तरदायित्व भी है।

अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों के सम्मेलन के बारे में

RE : CONFERENCE OF AFRO-ASIAN NATIONS

श्री तिरुमल राव (काकिनाडा): श्री स्वर्ण सिंह हाल ही में जकार्ता में हुए एशियाई-अफ्रीकी राष्ट्रों के सम्मेलन से वापस आये हैं। यदि आप अनुमति दें तो वह...

अध्यक्ष महोदय : मैं अकस्मात् ही इस तरह से उन्हें कुछ बताने के लिये नहीं कह सकता।

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६४

APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1964

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

वित्त विधेयक, १९६४

FINANCE BILL, 1964

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस वित्त विधेयक को प्रस्तुत किये ६ सप्ताह से अधिक समय हो गया है। मैंने सामान्य वाद विवाद के दौरान कर सम्बन्धी प्रस्तावों के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया था। मैं इस समय "रेशनेल आफ टैक्स प्रोपोजल्स" (कर प्रस्तावों के औचित्य) नामक पत्र की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो अभी हाल में परिचालित किया गया है।

कर प्रस्तावों के प्रति लोगों ने सभा में और बाहर भी विशेष रुचि दिखाई है। इस विस्तृत चर्चा का बहुत लाभ हुआ है और उससे हमें प्रस्तावों में सुधार करने और जिन पर अनावश्यक भार पड़ा था उन्हें राहत देने में सहायता मिली है। इन संशोधनों से बजट के मूल उद्देश्यों की अधिक सुचारु रूप से पूर्ति हो सकेगी।

बजट को पेश करते समय मैं ने सोचा था कि इंग्लैण्ड की परिपाटी की तरह वित्त विधेयक को बाद में पेश करूं किन्तु मैंने यहां की परम्परा को नहीं तोड़ा। अब सोचता हूं कि यदि मैं वित्त मन्त्री

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

रहा तो अगले वर्ष इसे अलग पेश करूंगा । क्योंकि उससे साधारण प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती ।

वित्त विधेयक में व्यक्ति गत कर के ढांचे को काफी सरल बना दिया गया है और निम्न आय वाले लोगों को राहत देते हुए और गैर सरकारी बचत को संगठित करते हुये आय कर तथा अतिकर को सरल बना दिया है । अधिक रियायत तो नहीं दी जा सकती थी किन्तु अब बिना सन्तान के विवाहित या बिन सहमति के संयुक्त परिवार की ३००० से ३२०० रुपये तक की आय, एक बच्चे वाले व्यक्ति या संयुक्त परिवार की ३३०० रुपये से ३६०० रुपये तक की आय और एक से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति या संयुक्त परिवार की ३६०० से ४००० रुपये तक की आय कर मुक्त है । इन करदाताओं में सबसे महत्वपूर्ण वग एक से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों का है और उन्हें लगभग ८५०० रुपये तक की आय तक कम कर देना होगा। कुछ एक आय वर्गों के कर में वृद्धि हुई है। इन उपायों से लोगों को निश्चित राहत मिलेगी ।

नई कर योजना में वार्षिक जमा योजना से गैर-सरकारी बचत बढ़ेगी और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति की रोक थाम होगी । ७० वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए इसे वैकल्पिक रखा जायगा किन्तु एक बार विकल्प दे देने पर वह स्थायी होगा । दूसरे भी विकल्प दे सकते हैं किन्तु उन पर वार्षिक जमा की रकम और अतिरिक्त कर की रकम के अन्तर का ५० प्रतिशत अधिक कर देना पड़ेगा ।

दूसरे दो परिवर्तन ये किये गये हैं कि रोजगार समाप्त होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति को वार्षिक जमा की दृष्टि से हिसाब में नहीं लिया जायगा । नाटककारों, लेखकों, कलाकारों आदि को अपनी आय का १५ प्रतिशत की बजाय २५ प्रतिशत जमा करना होगा । कलाकारों की अनेक संस्थाओं ने इसकी मांग की थी ।

गैर सरकारी बचत को प्रोत्साहन देने के हेतु स्थानिक करदाता के प्रतिभूतियों पर आयकर और अतिकर कम कर दिया गया है और उसे लाभांश के २६ प्रतिशत के स्थान पर २० प्रतिशत करने का विचार है । इससे संयुक्त पूंजी कम्पनियों के हिस्सों के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा ।

एक और परिवर्तन यह किया गया है कि जिन विदेशी छात्रों को स्वीकृत योजना के अनुसार विदेशी सरकारों से छात्रवृत्तियां मिलती हैं उनमें से प्रत्येक को दो वर्ष के लिये कर मुक्त रखा जायेगा ।

निगम कराधान का मूल उद्देश्य यह है कि पूंजी निवेश, प्राथमिक उद्योगों और उद्योग के स्वामित्व में भिन्नता लाने को प्रोत्साहन दिया जायगा इसलिये अधिलाभ कर के स्थान पर समवाय (लाभ) अतिकर लगाया गया है ।

इसके अलावा विकास छूट का प्रोत्साहन पुराने कारखानों और नई आयात की गई मशीनों को देने का विचार है । कारखानों को तीन पारियों में लाभ के लिए ५० प्रतिशत मूल्य ह्रास दिया जाता है ।

समवायों द्वारा वितरित लाभांश पर अतिरिक्त कर का उद्देश्य यह कि जो बचत हो उसका अधिकाधिक उपयोग औद्योगिक निवेश में हो । इसी युक्ति के आधार पर कुछ श्रेणियों के उद्योगों को अनिवार्य ाभांश के वितरण से मुक्त किया गया है। यह छूट कुछ वस्तुओं का निर्माण करने

वाले उद्योगों खनन और बिजली निर्माण उद्योग और ५० लाख रुपये से कम तुरन्त मूल्य के उद्योगों को भी दी जाएगी। इससे इंजीनियरिंग और अन्य सेवाओं के उद्योगों को विस्तार में सहायता मिलेगी।

एक और परिवर्तन एक असंगति को दूर करने के लिये किया जा रहा है। आजकल जिस कम्पनी में सरकार के ४०प्रतिशत शेयर हों उसे सरकारी हित की कम्पनी माना जाता है। उद्योग वित्त निगम और राज्यों के कुछ वित्त निगम तथा भारत इस शर्त को पूरा नहीं करते क्योंकि उनमें भारत के रक्षित बैंक के हित हैं सरकार के नहीं। अतः उन्हें सरकार के मुख्य हित से विहीन माना जाता है और गैर सरकारी लिमिटेड कम्पनियों के बराबर समझा जाता है। यह असंगत बात है। अब अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है कि जिस कम्पनी में केवल भारत के रक्षित बैंक के या भारत सरकार सहित कम से कम ४० प्रतिशत शेयर हों उसे मुख्य सरकारी हित की कम्पनी समझा जाए। वित्त विधेयक में उन कम्पनियों पर अधिकर २५ से बढ़ा कर ३५ प्रतिशत कर दिया गया है जिस पर थोड़े से लोगों का नियंत्रण है। माल तैयार करने वाले या खनन कार्य के जिन उद्योगों में आय २ लाख रुपये से अधिक नहीं उसके पहले १ लाख रुपये पर वित्त विधेयक के कुल ६० प्रतिशत कर की बजाय ५० प्रतिशत कर लगाने का संशोधन रखा गया है। जिन कम्पनियों की आय ५ लाख रुपये से कम है उसके पहले २ लाख रुपये पर ५० प्रतिशत कर लगाने के लिए भी मैंने संशोधन रखा है

वित्त विधेयक की यह योजना है कि जिन मूलभूत उद्योगों में अधिक पूंजी लगी हुई है और मुनाफा सापेक्षतः कम है उन्हें प्राथमिक विनियोग में बचत लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। निर्माण की सम्बन्धित वस्तुओं की प्रथम सूची में मैं अब संशोधन कर रहा हूं। मैंगनीज़ अयस्क, डोलोमाइट, मेगनेसाइट और खनिज तेल के खनन उद्योगों में शामिल कर दिया गया है।.बिजली के उपकरणों में प्रजनन, पारेषण के क़ेन्द्र, ट्रांसफार्मर, केबुल्स आदि शामिल की गई हैं। केवल काफी और चाय को सूची में से निकाला गया है ।

निगम कर में दो और परिवर्तन किये गये हैं। एक उपबन्ध के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों को उनके वेतन के २० प्रतिशत से अधिक लाभ दिया जाता है तो उसे कर योग्य आय में से घटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी किन्तु जो खर्च कर्मचारियों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने पर किया जाएगा उस पर कर नहीं लगेगा .

यह भी संशोधन किया गया है कि समवाय से भिन्न करदाताओं के मामले में लाभांश और प्रतिभूतियों की उद्गम से की जाने वाली कटौती की दर २५ प्रतिशत घटा कर २० प्रतिशत कर दी है। बोनस शेयरों के बारे में यह संशोधन है कि उनके जारी करने के ३१वें दिन बाज़ार मूल्य को पूंजीगत लाभ मान लिया गया है। ऐसे पूंजीगत लाभ पर अन्य पूंजीगत लाभ के कर की औसत दर का आधा कर लगाया जायेगा किन्तु वह लाभ का कम से कम १५ प्रतिशत होगा। पहले ५००० रुपये पर कर नहीं लगेगा। कम्पनियों से ऐसे लाभ पर अधिकर की बजाय १½ आयकर लगाया जाएगा।

विधेयक के खंड से ऐसा प्रतीत होता है कि शेयर प्रीमीयम में से जारी किये जाने वाले बोनस शेयर पर कर की रियायत भूतलक्षी प्रभाव से होगी। इस निर्वचन को रोकने के लिये प्रस्तावित संशोधन रखा गया है।

[श्री ति० त० कृष्णमाचारी]

समवाय से भिन्न करदाताओं को होने वाले अल्पावधि पूंजीगत लाभ से भिन्न लाभ के बारे में यह परिवर्तन किया गया है कि पहले ५००० रुपये का लाभ कर मुक्त होगा और यदि कर दाता की आय १०००० रुपये से कम हो तो पूंजीगत लाभ पर कर नहीं लगेगा। भूमि भवन आदि से पूंजी गत लाभ पर ७५ प्रतिशत और अन्य मामलों में ५० प्रतिशत कर लगाया जायेगा।

प्रायः लोग पूंजीगत परिसम्पत्ति का हस्तांतरण करते समय उसका मूल्य कम बताते हैं और इस प्रकार कर से बचाव किया जाता है। इसे रोकने के लिये हस्तांतरण के दिनों का बाजार मूल्य लिया जा सकेगा।

कर अपवंचन के उपायों को विद्वेश भाव से लागू नहीं किया जा सकता। इस दृष्टि से यह परिवर्तन किये गये हैं अर्थात (१) कर अभिलेख की सूचना का प्रार्थना पत्र विहित प्रपत्र में लिया जायगा (२) और आयकर आयुक्त ऐसी जानकारी उस सूरत में देगा जब वह संतुष्ट होगा कि इस में लोकहित है (३) आयकर अधिनियम, १९२२ के अन्तर्गत प्राप्त संभरण जारी रखा जायगा (४) केन्द्रीय सरकार ऐसे करदाताओं की श्रेणियां निर्धारित करेगी जिनके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। इससे हमारा अभिप्राय बैंकिंग कम्पनियों की गोपनीय निधियों आदि से है, (५) आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २८० में भी संशोधन करने का विचार है ताकि अनधिकृत सूचना देने वाले सरकारी कर्मचारी को दंड दिया जा सके।

अर्वजित आय से धन के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये सम्पदा शुल्क ८५ प्रतिशत है जिस में प्रोवेट शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया गया है।

३६,००० रुपये प्रति वर्ष से ऊपर व्यय से दूसरे संशोधन के अन्तर्गत कर लगाया जायेगा। निजि उपयोग के लिये आयात की गई वस्तुओं पर खर्च कर योग्य खर्च में से कराने की अनुमति नहीं है। उपहार कर के लिये राशि की न्यूनतम सीमा १०,००० से घटा कर ५,००० कर दी गई है।

उत्पादन शुल्क में कमी न करने के कारणों में से राजस्व में कमी न करने की इच्छा के साथ साथ यह भी है कि आयात वस्तुओं की मांग न बढ़े और ऐसी कमी का लाभ उपभोक्ता की बजाय व्यापारी को होगा। कास्टिक सोडा के मामले में ऐसा हुआ था और उसका मूल्य बढ़ गया था २९ काउंट के धागे पर किन्तु ३४ काउंट से कम के धागे पर शुल्क आधा करने का विचार है। सट्टी के रूप में धागे पर विमुक्तियुक्त काउंटों पर भी देने का विचार है। छोटे विद्युत करघों द्वारा तैयार किये गये बढ़िया तथा बहुत बढ़िया धागे के लिए संयुक्त शुल्क को वर्तमान दर की तिहाई कर दिया जाएगा। औद्योगिक रेयन धागों पर शुल्क की प्रस्तावी दर को प्रति किलोग्राम ४ रुपये से घटा कर २.६७ रुपये कर दिया जायगा।

टायर और गत्ते के सम्बन्ध में जो तीसरी योजना के दौरान स्थापित कारखानों में बनाया जाता है कुछ सापेक्षतः साधारण परिवर्तन किये गये हैं। इस प्रकार की सब राहतें अधिसूचनाओं द्वारा दी जायेंगी।

ये जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं देखने में तो बहुत अधिक प्रतीत होते हैं किन्तु ये केवल प्रारूप में परिवर्तन है ताकि कुछ उपबन्ध अधिक स्पष्ट हो जाएं। यह बात सदस्यों में परिचालित पुस्तिका से स्पष्ट हो जायेगी।

इन संशोधनों द्वारा कर के ढांचे को सरल बना दिया गया है । बाहर अधिकांशतः दो बातों की आलोचना की जाती है एक तो ७$^1/_2$ प्रतिशत लाभांश कम की जो वास्तव में लाभों पर २$^1/_2$ से ३ प्रतिशत से अधिक नहीं बनेगा और अन्धाधुंध लाभांश वितरण पर भी नियंत्रण हो जायगा और दूसरी शिकायत जारी किये गये बोनस पर कर के बारे में। यह प्रस्तावित मध्य वर्ग पर बहुत अधिक नहीं लगेगा क्योंकि उन के पास शेयर कम होते हैं और फिर ५००० रुपये तक की छूट भी है । समृद्ध लोगों पर १५ प्रतिशत कर लगेगा और जिन्होंने शेयरों में बहुत अधिक पैसा लगा रखा है उन पर उत्तरोत्तर अधिक कर लगेगा ।

शेयर बाजार को बहुत महत्व नहीं देना चाहिये। अनेक लोग तो देश की अर्थव्यवस्था को ही शेयर बाजार पर ही आधारित करते हैं किन्तु शेयर बाजार से भले आर्थिक परिवर्तन का संकेत मिलता है पर वह वास्तविक संकेत नहीं होता ।

बजट और मेरे प्रति आक्रोश प्रकट किया जा रहा है किन्तु सम्पदा शुल्क के साथ साथ उपहार शुल्क लगाने से कर उपवंचन रोका जा सकता है और इन से हम कांग्रेस दल के निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इसके लिए १७$^1/_2$ घंटे का समय नियत है और मेरा सुझाव है कि सामान्य चर्चा के लिए ५$^1/_2$ तथा खण्डवार चर्चा तथा तृतीय वाचन के लिए १२ घंटे रखे जाएं । हम समय को बढ़ा नहीं सकते और खण्डों पर गिलोटीन लागू नहीं की जा सकती। अतः खण्डों के लिए अधिक समय की आवश्यकता है क्योंकि उन पर संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं।

श्री नाथ पाई: लोगों की राय है कि सामान्य चर्चा के लिए अधिक समय होना चाहिए।

Shri H. C. Soy. I suggest that general discussion should be held for 7 hours so that the members who could not speak in general discussion of the budget could now get the time.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : सरकार के वास्तव में बड़े संशोधन तो ४–५ ही हैं शेष प्रारूप सम्बन्धी हैं। इस चर्चा के अवसर पर लोग सभी प्रकार की शिकायतें प्रस्तुत करते हैं अतः आप चर्चा के लिए ८ घंटे और दूसरे वाचन के लिए आठ घंटे तथा अन्तिम वाचन के लिए १$^1/_2$ घंटे निर्धारित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं, किन्तु सदस्यों को ध्यान रखना है कि इन सारे संशोधनों को निबटाना है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बेरकपुर) : वित्त विधेयक का अध्ययन करने से मैं अनुभव करती हूं कि सभी वर्गों के लोगों को यही बात संतप्त कर रही है कि सम्पत्ति थोड़े से लोगों के हाथ में है । सरकार को महलानोबिस समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखनी चाहिये थी। उसमें एकाधिकार को समाप्त करने की ओर संकेत किया गया है और स्पष्टतः

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

लिखा है कि १९५४ या १९६० में निम्न दर्जे के २० प्रतिशत लोगों के पास भूमि नहीं थी। हम देखते हैं कि ऊपर के २० प्रतिशत लोगों पर वास्तविक सम्पत्ति का ७३.१ प्रतिशत भाग है। जिन कम्पनियों में सारे के सारे अंशधारी है उनमें १.४ प्रतिशत अंशधारियों को ३१.५ प्रतिशत लाभांश आय मिलती है और ५०.३ प्रतिशत के केवल १०.८ प्रतिशत प्रबन्ध अभिकरणों के अधीन भी इसी प्रकार धन का केन्द्रीयकरण हुआ है। टाटा की ७२ सहायक कम्पनियां हैं, बिरला की १०५, डालमिया साहू जैन की ३०, बर्ड हेलगर की ४४। इस प्रकार एकाधिकार स्थापित हुए हैं। बिरला अनेक प्रकार के कार्य और व्यापार करता है। यह विभिन्न बात है।

यह सममुच बड़ी मनोरंजक बात है कि यह अत:पाशन पद्धति तथा प्रबन्धक एजेन्सी पद्धति का ढंग सरकारी क्षेत्रों में भी आ रहा है। बहुत सी सरकारी समवायों पर ही गैर सरकारी लोगों का नियंत्रण है, जो कि गैर सरकारी समवायों में भी हैं। यह बड़ी मजेदार बात है कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में चल रही ४९ समवायों के ३११ निदेशकों में से ८६ व्यक्ति ऐसे थे जो कि गैरसरकारी हैं। इन ८६ में से ४२ ऐसे थे जिनका किसी गैर सरकारी समवाय से कोई सम्बन्ध नहीं था। ४४ लोग गैर सरकारी समवायों में निदेशक थे। अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह से विभिन्न प्रकार से काम चल रहा है। मेरा कहना है कि गैर सरकारी समवायों की प्रक्रिया केन्द्रीय सरकार के समवायों में फैल रही है।

लाइसेंसिग के मामले में भी इसी तरह की ही नीति है २१५ लाइसेंस १९६०-६१ में दिये गये। १४३ तो बड़े बड़े व्यापारी परिवारों को दिये गये, टाटा ग्रुप को ३०, बिरला, ५७, सुरजमल नागर मल १४, श्रीराम ग्रुप १५।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि समवायों को दिये जाने वाले अधिकतर लाइसेंस थोड़े से व्यापारियों के हाथ पड़े हैं। जमाव बढ़ता चला जा रहा है। सरकार समवायों को उत्तरोत्तर प्रोत्साहन दे रही है। महलनोबिस प्रतिवेदन का कहना है कि सरकार की योजना काल की नीति इस सब के लिए उत्तरदायी है। अब भी वह इसी नीति का पालन कर रही है। और फिर विधेयक में दिये जाने वाले नये प्रस्तावित प्रोत्साहनों से स्पष्ट है कि कोई परिवर्दन नहीं किया गया। व्यापक कर प्रोत्साहनों की नीति से सरकार गैर सरकारी उद्योगों के विकास में सहायक रही है। हर वर्ष यह प्रोत्साहन दिये जाते रहे हैं अब भी दिये जा रहे हैं। अतिकर के लिए भी खंड १८ और २२ में व्यवस्था है कि जीवन बीमा का प्रीमियम देने पर छूट मिलती है। इस बारे में माननीय वित्त मंत्री की राय है कि इस तरह बड़ी बड़ी आय वाले लोग रुपया लगायेंगे। मेरे विचार में ऐसा करने के स्थान पर यदि हम कर एकत्रित करने वाली मशीनरी को तेज करते तो अच्छा था। और उन बातों पर अमल करने की जरूरत थी जिनका कि त्यागी समिति तथा कुछ अन्य समितियों ने सुझाव दिये हैं।

खंड २३ की धारा १०४ को संशोधित किया जा रहा है। आयकर अधिनियम १९६१ में किये जा रहे इस संशोधन में अतिरिक्त अतिकर की व्यवस्था है। इस कर का उद्देश्य यही है कि कुछ गैर सरकारी समवाय जो कर देने से संकोच करते हैं, उन्हें कर देने

पर बाध्य किया जाता है । परन्तु अब इसे बदल कर ऐसी समवायों को कर से छूट दी जा रही है । और ये वे समावय हैं जिनकी पूंजी ५० लाख से अधिक फैलती है । यह पहिले बहुत कम थी। मेरे विचार में यह इन गैर सरकारी समवायों के साथ बहुत बड़ी रियायत है ।

इसके अतिरिक्त जो सब से बड़ा परिवर्तन हो रहा है वह खंड २९ है । इसका सम्बन्ध पूंजी गत लाभांश से है । मूल रूप में व्यवस्था २५ प्रतिशत कर की थी । अब इसे कम कर के १२½ प्रतिशत कर दिया है। यह बहुत बड़ी रियायत है जो कि बड़ी बड़ी समवायों को दी गयी है । इस तरह से एकाधिकारों को कम करने के स्थान पर उन्हें रियायतें दे कर उन्हें मजबूत किया जा रहा है । इसका अन्ततोगत्वा पूंजी का केन्द्रीयकरण ही तो होगा। इससे तो शक्ति और अधिक गैर सरकारी क्षेत्र के हाथों में चली जायेगी।

अब में विदेशी निवेशों की ओर आती हूं। विदेशी लोग अपनी पूंजी इस देश में लगाये इसके लिये बड़े बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन किये जा रहे हैं । विदेशी पूंजी इस देश में लगे इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं, परन्तु मेरा निवेदन यह है कि ये विदेशी निवेश सरकार से सरकार के आधार पर किया जाना चाहिए। कारण यह कि विदेशी पूंजी कभी भी हमारे हितों के अनुसार काम नहीं करेगी। मेरा मत तो यह है कि सरकार को सभी तरह के विदेशी विशेषज्ञों को अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमें तो उन्हें अपनी सहायता के लिए ही बुलाना चाहिए ।

हम सरकार से सरकार के आधार पर पूंजी लेने के विरोधी नहीं और यही हमारा स्वतंत्र पार्टी से मुख्य मतभेद है। ऐसे लोगों को देश में बुलाया जाना चाहिए जो यहां आ कर हमें उद्योगों के बारे में ीक ढंग की तकनीकी जानकारी दें । आय कर के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रन्त्येक बालक २००० रुपये के हिसाब से आय कर न लेने के रूप में विदेशियों को जो रियायत दी गयी है, वह समाप्त की जानी चाहिए। यह तो कराधान के सिद्धांत के ही विरूद्ध है और साथ ही इससे भेदभाव की भावना के पनपने का डर है ।

अमरीका के शिष्टमंडल के साथ संयुक्त औद्योगिक उपक्रमों के बारे में जो खबरें अखबारों में छपी हैं उस पर मुझे आश्चर्य हुआ है ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य ने इस बारे में जो कुछ पढ़ा है वह कल्पना पर ही आधारित है, मैंने इस विषय पर कोई बातचीत नहीं की।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती : मेरा निवेदन यह है कि जहां कर दाता की घोषित आय निर्धारित आय के ९० प्रतिशत से कम हो, वहां सबूत देने का भारत आयकर अधिकारियों पर इस उद्देश्य का संशोधन स्वीकार नहीं होना चाहिए । कर दाता की आय को जाहिर करने *सम्बन्धी* संशोधन अस्वीकार किया जाना चाहिए । यदि ऐसा न किया गया तो इससे मूल उपबन्ध *सर्वथा निरर्थक* हो जायेगा । जानकारी का दिया जाना भी केवल मात्र आय कर आयुक्त के निर्णय पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अतः इस बारे में जो संशोधन माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया है, उसका विरोध किया जाना चाहिए । कितने आश्चर्य की बात है कि आय कर के ३०० करोड़ रुपये प्राप्त नहीं किये गये और धन कर को बकाया रकम जो अभी प्राप्त नहीं की गयी १८० करोड़ है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अब मैं आय कर की वसूली के दोषों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूं। इस बारे में सारी मशीनरी को ठीक किया जाना चाहिये। इस बारे में त्यागी समिति अपने सुझाव प्रस्तुत कर चुकी है। बंगाल में ५७ करोड़ रुपये का कर है जो कि अभी वसूल नहीं किया गया। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये कि अधिक से अधिक कर वसूल किये जा सकें। केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि राज्यों की कर वसूली व्यवस्था पर उसका पूर्ण रूप से नियन्त्रण हो।

इस बारे में मेरा कहना यह भी है कि आयकर और बिक्री कर विभागों में इस उद्देश्य के लिये उत्तम सम्बन्ध होने बड़े ही आवश्यक हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि आयकर अधिकारी अधिक अनुभवी हों और उनके पास करदाताओं से उनके विवरणों के बारे में जिरह इत्यादि करने तथा छान बीन करने के लिए काफी समय हो। इसके लिये यह भी जरूरी है कि आय कर विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार होना चाहिये। उन्हें पदोन्नति के अधिक से अधिक अवसर दिये जाने चाहिये।

महानियंत्रक और लेखापरीक्षक के दफ्तर के कर्मचारियों के बारे में कुछ किया जाना चाहिये। उनमें से अनेक १९६० की हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से हटाये जाने पर बहाली के लिये अदालतों में जाना पड़ा है। उनकी बहाली का आदेश अदालतों ने जारी कर दिया है परन्तु फिर भी कुछ लोगों के विरुद्ध भी पूछताछ आरम्भ कर दग गई है। इसकी ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा): यद्यपि पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हुए अमानवीय अत्याचारों के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में जो दुखद घटनायें हुई हैं वे निन्दनीय हैं, किन्तु दोनों देशो में घटी घटनाओं को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। भारत में सरकार द्वारा दंगे बड़ी सख्ती के साथ दबाये गये जब कि पाकिस्तान सरकार द्वारा दंगे पूर्वायोजित ढंग से करवाये गये थे। पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की दशा अत्यन्त शोचनीय है, इसलिये इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये, संसार के देश जो पाकिस्तान और भारत में हुई घटनाओं को एक स्तर पर रख रहे हैं हमें ऐसे देशों को स्पष्ट शब्दों में वास्तविकता बतानी चाहिये। शरणार्थियों के बसाने के लिये हमें विश्व संगठनों से यथासंभव सहायता के लिए अनुरोध करना चाहिये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन से हमारी योजना सम्बन्धी कई कमियां सामने आई हैं। वित्त मंत्री महोदय ने इस विधेयक में उन कमियों को दूर करने के लिये जो व्यवस्था की है उससे काफी हद तक सफलता मिलेगी। वित्त विधेयक में जिस प्रकार से करों की व्यवस्था की गई है वह अत्यन्त सराहनीय है। इससे देश ये समाजवाद की स्थापना में सहायता मिलेगी।

वित्त मंत्री महोदय ने आयकर (संशोधन) विधेयक सभा में ला कर करों के अपवंचन की त्रुटियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुझे आशा है हमें इसमें काफ़ी सफलता प्राप्त होगी और राज कोष में पहिले की अपेक्षा अधिक धन मिल सकेगा। यह और अधिक अच्छा होता यदि विधेयक बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप में पारित किया जाता।

यह सराहनीय बात है कि अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी गई है। सरकार को आय कर में छूट की सीमा बढानी चाहिये, कर व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये जिससे लोगों को एक निम्नतम रहन सहन का स्तर प्राप्त हो और उनकी एक न्यूनतम निर्धारित आय अवश्य होनी चाहिये।

यह ठीक है कि मंत्री महोदय ने देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से निर्मित क्षेत्रों पर करों में कुछ रियायत दी है। मेरा अनुमान है कि आज पूंजीगत लाभों के लिये कर के सम्बन्ध में कुछ रियायतों की घोषणा भी देश के आर्थिक विकास की दृष्टि से की गई है। मंत्री महोदय को कर लगाने के अभिप्राय को स्पष्ट करना चाहिये। यदि इन रियायतों का देश के आर्थिक विकास पर वांछित प्रभाव न हो तो इन रियायतों को आगामी वर्ष में हटा लिया जाये।

यह विचित्र किन्तु सच है कि गैर सरकारी क्षेत्र प्रायः ऐसा माल तैयार करता है जिसकी मांग धनी समाज में होती है। गैर सरकारी क्षेत्र जीवन की आवश्यक वस्तुएं बहुत कम मात्रा में तैयार करता है। अतः इस समय संसाधनों को अधिक आवश्यक कार्यों में लगाने की आवश्यकता है और इस कार्य में प्रोत्साहन देने के लिये जो १० प्रतिशत की रियायत दी गई है उसका स्वागत है। यह अधिक लाभदायक होता यदि बिलास की वस्तुओं के निर्माण को सीधे रूप में निरुत्साहित किया जाता और सारे संसाधन आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगाये जाते।

मूल्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिससे हमारा भविष्य अनिश्चित हो गया है। इसी लिये मैंने कम आय वाले वर्ग के लिये आय कर में छूट देने के लिये अनुरोध किया था। यह दुःख की बात है कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में मूल्यों का कोई उल्लेख नहीं किया है। आज हमें मुख्यरूप से सस्ता भोजन, शिक्षा, वस्त्र और परिवहन की आवश्यकता है। इनकी व्यवस्था के लिये भरसक प्रयत्न किये जाने चाहिये। इन वस्तुओं के मूल्यों पर या तो नियंत्रण किया जाना चाहिये या इन्हें खरीदने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिये जिससे समाज के निर्धन वर्ग को लाभ हो सकेगा।

इस समय देश का प्रशासन कार्य-कुशल नहीं है और इसमें चारों ओर भ्रष्टाचार विद्यमान है। इसलिये हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें असफलता का मंह देखना पड़ता है। इस प्रशासन में सुधार करने के लिए आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जब तक प्रशासन में सुधार नहीं किया जाता तब तक हमारी नीतियां सफल नहीं हो सकतीं और हम देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की आशा नहीं कर सकते।

समाजवादी उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इनका कार्य सुचारु रूप से चलने के लिए इन पर से अनावश्यक प्रतिबन्ध हटाये जाने चाहिये।

हमें बढ़ती हुई जन संख्या को रोकने के लिये भी प्रयत्नशील होना चाहिये, यह प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने आयकर में ४,००० रुपये तक छूट की घोषणा कर दी है। मुझे पूर्ण आशा है कि वे मूल्यों को कम करने के लिये भी कोई व्यापक योजना तैयार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करती हूं।

*श्री वें० तेवर (थंजाबूर) : यह सराहनीय बात है कि पैकेज प्रोग्राम अधिक से अधिक स्थानों पर लागू किया जा रहा है। आज कृषक अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है और उत्पादन बढ़ाने के लिये खेतों में सिपाही की भांति कार्य कर रहा है। किन्तु इसके बावजूद भी उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा है और कृषकों को बहुत कठिनाइयां हो रही हैं क्योंकि भूमि कर और कृषि सम्बन्धी औजारों के मूल्य बढ़ गये हैं किन्तु धान की कीमत केन्द्रीय सरकार द्वारा कम कर दी गई है। अतः यह आवश्यक है कि या तो अन्य वस्तुओं के मूल्य घटा कर धान के मूल्यों के स्तर पर लाये जायें या धान के मूल्य बढ़ाये जायें।

कृषि पूर्ण रूप से भरोसे वाला व्यवसाय नहीं रह गया है। मिल मालिक और व्यापारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्यों पर कृषकों से धान खरीदते हैं और अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचते हैं। इससे न तो कृषक को लाभ होता है और न ही उपभोक्ता को लाभ होता है बिचौलिये व्यापारियों को। अतः मिल मालिक, बिचौलिये तथा व्यापारी समाप्त होने चाहिये ताकि कृषक अपनी उपज सीधे सरकार को बेच सकें। यदि सरकार देश में पैदा किये गये चावलों का भी उतना ही मूल्य दें जितना कि आयात किये गये चावल के लिये देती है तो चावल के उत्पादन में देश अवश्य आत्मनिर्भर हो जायेगा। उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब कृषकों को कर देने तथा आवश्यक व्यय करने के पश्चात् पर्याप्त लाभ हो। सरकार को कृषकों की शिकायतों पर गम्भीरता से विचार करके उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिये।

देश में पशुधन के सुधार को महत्व देना आवश्यक है। यह कार्यक्रम पैकेज प्रोग्रम में शामिल किया जाना चाहिये। इस समय गोशाला योजना संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही है। इस योजना से गैर सरकारी संस्थाओं को लाभ नहीं हो रहा है। यदि गैर-सरकारी संस्थाओं को गोशालायें चलाने का अवसर दिया जाये तो पशुधन में काफी सुधार हो सकता है।

इस समय सरकार द्वारा भैंसों के जो कटरे खरीदे और मुफ्त बांटे जाते हैं वे अच्छी नस्ल के नहीं हैं। भैंस के कटरों को दूर स्थानों में भेजे जाने के कारण उन पर दूसरे स्थानों की जलवायु का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि दक्षिण भारत में पैकेज प्रोग्राम के अन्तर्गत एक बछड़ापालन केन्द्र खोला जाना चाहिये जिससे दक्षिण भारत के कृषकों को काफी लाभ पहुंच सकेगा।

दक्षिण भारत में जिन कुछ स्थानों में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं वहां प्रयोग के रूप में कुएं खोद कर सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये, बाद में वहां पर बहने वाली नदियों के पानी का लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत उपयोग हो सकता है। सरकार को चाहिये कि कम उपज वाले क्षेत्रों के कृषकों से अनुपात के हिसाब से कम कर लेना चाहिये।

तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुए तथा हरिजनों को प्रायः तूफान, बाढ आदि दैवी प्रकोपों का सामना करना पड़ता है जिसमें उन्हें अपनी जानें भी गंवानी पड़ती है। सरकार को इन लोगों के लिये मुफ्त आवास सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये और पीड़ित परिवारों को सहायता देनी चाहिये। उनके मछली व्यापार को लाभदायक बनाने के लिये उनके लिये चलती फिरती बरफ गाड़ियां, नायलॉन के धागे, स्टीम बोट आदि का प्रबन्ध किया जाये और मछलियों को मंडी तक आसानी से पहुंचाने के लिये उन क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएं।

*मूल तामिल के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित।

पूर्वी तटीय क्षेत्र में इस समय सड़कों के अभाव से परिवहन व्यवस्था की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जिससे वहां के लोग सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और वहां तस्कर व्यापार का जोर है। राज्य सरकार धन के अभाव में वहां सड़कें बनाने में असमर्थ है। अतः मद्रास तथा कन्या कुमारी के बीच पूर्वी तटीय सड़क (सेनु रुस्था) को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में विकसित करना चाहिये।

कालाकम से अविदायारकोइन तक जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है। बरसात के दिनों में यह नालों के कारण कई स्थानों पर कट जाती है जिससे लोगों को बहुत कठिनाई होती है। इस सड़क पर पुलों की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस सड़क की दशा सुधारने के लिये केन्द्रीय सड़क निधि से धन दिया जाना चाहिये।

मद्रास राज्य में पंचायती राज संतोषजनक कार्य कर रहा है किन्तु इस में प्रशासनिक व्यय बहुत अधिक है। इस व्यय को कम करने की आवश्यकता है। राज्य में पंचायत संघ अधिकारियों के लिए सरकार की ओर से कोई आवास व्यवस्था नहीं है जिस से अधिकारियों को मकानों का बहुत अधिक. किराया देना पड़ता है। अत: अधिकारियों के लिए मकानों का निर्माण किया जाना चाहिए।

आज जनजीवन में भ्रष्टाचार गंभीर रूप से फैला हुआ है। जब तक भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होता सरकार की सजमाजवादी नीति कभी सफल नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये किये जा रहे अन्य उपायों के साथ साथ भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने के लिये राज्य तथा जिला स्तर पर भ्रष्टाचार उन्मूलन समितियां नियुक्त की जानी चाहिएं जो भ्रष्टाचार के दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सलाह देंगी। जिला स्तर की समितियों में संसद्-सदस्य, विधान सभा के सदस्य तथा पंचायत संघ के अध्यक्ष लिए जाने चाहिए।

वर्तमान स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम का स्वागत है। किन्तु तामिल लोगों की प्रथा के अनुसार थाली (मंगलसूत्रम) जो नई दुलहन पहनती है, उन्हें "२२ कैरेट" सोने से बनाने की अनुमति होनी चाहिए।

राज्य सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की दृष्टि से केन्द्र सरकार को निर्वाह व्यय देशनांक तथा जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण करना चाहिए। इस संबंध में मद्रास सरकार के कर्मचारियों ने वित्त मंत्री महोदय को हाल में उनके मद्रास के दौरे के समय एक अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया था जिस में उन्होंने अपनी शिकायतों के बारे में लिखा है और मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दे ताकि वे अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकें। मेरा अनुरोध है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर मंहगाई भत्ता दिया जाना चाहिए।

"थिरुक्कुराल" जैसे महत्वपूर्ण तामिल साहित्य का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाये। और उसे सारे भारत में पढ़ाया जाये। इस से राष्ट्र के एकीकरण में काफी सहायता मिलेगी।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट): वित्त मंत्री महोदय ने जिस आशा से आयव्ययक प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे वह पूरी नहीं हो सकी। देश में विशेषरूप से औद्योगिक क्षेत्र में, इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है जिस से मंत्री महोदय को कुछ संशोधन सभा के सामने लाने पड़े। विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बावजूद भी स्थिति में विशेष सुधार होने की आशा नहीं है। स्थिति पहिले जैसी ही खराब रहेगी। इस आय-व्ययक से बहुत हानि होगी और इससे हमारी आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो जायेगी।

हमें तेजी से बढ़ती हुई स्फीति स्वीकार करनी चाहिए। यदि राजस्व का सही अनुमान लगाया जाता और करों की बकाया राशि वसूल की जाती तो सरकार को अतिरिक्त कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार जानबूझ कर राजस्व का बहुत कम अनुमान लगाती है। इसका एक ज्वलन्त उदाहरण यह है कि वर्ष १९६३ में कुछ औषधियों पर उत्पादन शुल्क से २० लाख रुपये प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया था जब कि उस से साल के अन्त में वास्तविक आय ४४० लाख रुपये हुई। संसार के किसी भी देश में प्रक्कलनों में इतना अन्तर नहीं होता है। यह एक सभ्य सरकार के लिए अशोभनीय बात है।

सरकार करों की बकाया राशि वसूल करने में सर्वथा असमर्थक रही है। यह राशि लगातार बढ़ती जा रही है। करों की बकाया राशि का अनुमान वर्ष १९६२–६३ के अन्त में २७२ करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष १९६३–६४ के अन्तमें २९३ करोड़ लगाया गया है। करों के निर्धारण के मामलों में वृद्धि हो रही है। लोक-लेखा समिति के अनुसार करापवंचन के मामलों का पता लगने पर भी उन के विरुद्ध मुकदमे नहीं चलाये जाते हैं। करों की बकाया राशि वसूल करने के बजाय सरकार, करों की दरों में वृद्धि कर रही है भले ही इसका उद्देश्य राजस्व संबंधी न हो। इस से करों के रूप में अधिक राजस्व प्राप्त होने के बजाय ईमानदार करदाताओं पर अधिक भार पड़ता है। सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त करने के लिए करों की दर कम करनी चाहिये थी जिस से लोगों पर करों का अधिक भार नहीं पड़ता और वे उन से बचने के लिए कपटपूर्ण उपाय नहीं अपनाते। सरकार ने इस महत्वपूर्ण बात की पूर्णरूप से उपेक्षा की है।

जन साधारण की आवश्यकताओं पर, जैसे मिट्टी का तेल, दियासलाई, मोटा कपड़ा और चीनी, उत्पादन शुल्क कम नहीं किया गया। वित्त मंत्री जी के इस कथन का कोई औचित्य नहीं है कि इन वस्तुओं के उत्पादन शुल्क में कमी करने से वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभ नहीं होगा। सरकार को जीवन की आवश्यकताओं की वस्तुओं पर करों में कमी करनी चाहिए।

वित्त विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं, जो आयकर कानून में संशोधन करना चाहते वे उचित रूप से में वित्त विधेयक का भाग नहीं बनने चाहिए। इस संबंध में भतपूर्व अध्यक्ष महोदय ने भी अपना निर्णय दिया था कि वित्त विधेयक का उद्देश्य राजस्व के रूप में उस धन राशि की व्यवस्था करना है जो उस वित्तीय वर्ष के लिए सभा द्वारा स्वीकार की गई हैं। अध्यक्ष महोदय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय को आयकर में संशोधन करने के लिए सभा में पृथक विधेयक लाना चाहिये।

वित्त मंत्री को इन विवादास्पद खण्डों को इस विधेयक से हटा कर किसी नये विधेयक में समाविष्ट कर देना चाहिये ताकि इन पर अलग से बाद में चर्चा की जा सके। एकाधिकार आयोग (मोनोपलीज़ कमीशन) की नियुक्ति के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में गैर सरकारी व्यक्तियों को भी स्थान दिया जाना चाहिये था जिस से कि लोगों में इसके प्रतिवेदन के प्रति विश्वास पैदा किया जा सकता। इस आयोग के निर्देश पदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में यह एकाधिकार विरोधी आयोग नहीं है। यह आयोग केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में धन के संचय की सीमा तथा प्रभाव के बारे में जांच करेगा। यह जांच गैर-सरकारी क्षेत्र में ही नहीं की जानी चाहिये। अपितु सरकारी क्षेत्र में भी की जानी चाहिये। क्योंकि सरकार सब से बड़ा एकाधिकार है। गैर-सरकारी उद्योगों के साथ साथ सरकारी उद्योगों के कार्यकरण की भी जांच की जानी चाहिये। उन में भी उतनी ही कुरीतियां विद्यमान हैं, जितनी गैर-सरकारी उद्योगों में हैं। अतः सरकारी क्षेत्र को भी इस आयोग की जांच के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिये था। यह स्पष्ट है कि इस आयोग के वर्तमान निर्देश-पद जनता के प्रति एक धोखा मात्र है। देश में अनेक ऐसे उपक्रम हैं, जो ईमानदार हैं।

संथानम समिति के प्रतिवेदन में, जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ है, एक सुझाव यह दिया हुआ है कि संयुक्त स्कन्ध समवायों का राजनीतिक दलों का चन्दा देने की अनुमति नहीं होनी चाहिये। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि एक कांग्रेसी ने यह सुझाव दिया है। १९६१ में कांग्रेस के संदस्य के रूप में मैंने समवाय (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के समय इसी प्रकार का संशोधन दिया था और कांग्रेस को छोड़ कर, सभी विरोधी दलों ने उसका समर्थन किया था। राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार समाप्त करने के इस कदम का केवल कांग्रेस दल द्वारा ही विरोध किया गया था। क्योंकि इसी पैसे के बल पर उन्होंने गत आम चुनावों में सफलता प्राप्त की है। मुझे आशा है कि सरकार संथानम समिति के इस सुझाव को कार्यान्वित करने के लिये बहुत शीघ्र ही एक विधेयक लायेगी।

इस आयव्ययक के जरिये भारत सरकार, जोकि देश में सबसे बड़ा एकाधिकार है, सारी बचतों को अपने हाथ में एकत्र करना चाहती है। इस आयव्ययक के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में भारत सरकार के प्रत्येक प्रतियोगी को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयव्ययक हमारे सामने यह प्रश्न उपस्थित करती है कि हमें देश में स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था का विकास करना ह अथवा सोवियत रूस तथा साम्यबादी चीन की नियंत्रित अर्थव्यवस्था का। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं इस आयव्ययक के बारे में जो भी बात कह रहा हूं, वह वित्त मंत्री पर ही लागू नहीं होती अपितु सारी सरकार उसके लिये उत्तरदायी है क्योंकि यह आयव्ययक वित्तमंत्री का न हो कर समूची सरकार का आयव्ययक है। जनसाधारण से फालतू धन लिया जा रहा है ताकि भावी सत्ताधारी दल तथाकथित समाजवादी समाज का निर्माण कर सके। हम स्टालिन जैसे तानाशाह की नीति का अनुसरण कर रहे हैं, जो लोगों की आवश्यकताओं को दबाकर, इस्पात तथा भारी पूंजी उद्योगों की स्थापना पर अधिक जोर देती है ताकि तानाशाही सरकार अपनी धाक जमा सके। हम वर्तमान पीढ़ी से एक कल्पित भविष्य के लिये कुर्बानी करने की मांग कर रहे हैं। हम साम्यबादी देशों की गलत नीतियों की नकल कर रहे हैं जबकि उन्होंने भी अब यह महसूस किया है कि वे नीतियां ठीक नहीं हैं और उनका त्याग किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा जिन १४ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना हैं उनमें से एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जोकि उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करता हो। वे सब ऐसे माल का

उत्पादन करते हैं जो निर्यात किया जाना है जबकि साम्यवादी चीन की सरकार ने भी कृषि तथा उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को अधिक प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। मेरे लिये यह कहना मुश्किल है कि हमारी सरकार को अर्थशास्त्र का यह साधारण तथ्य जानने में कितना समय लगेगा। मैं यह केवल कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं अपितु योजना आयोग के डिपुटी चेयरमैन श्री अशोक मेहता ने भी हाल ही में लखनऊ तथा कलकत्ता में यह कहा था कि आगामी दस वर्ष संकट के होंगे क्योंकि लोगों को बहुत अधिक दामों पर चीजें मिल सकेंगी और उज्जवल भविष्य का निर्माण करने के लिये वर्तमान पीढ़ी को बहुत अधिक कुर्बानी करनी पड़ेगी। परन्तु भारतीय जनता ये कुर्बानियां करने के लिये तैयार नहीं है क्योंकि कौन कह सकता है कि दस वर्षों में लोगों को राहत मिल भी सकेगी। लैनिन तथा त्रोत्सकी ने भी रूसी लोगों को इस प्रकार के आश्वासन दिये थे। हालांकि इन बातों को कहे ४५ वर्ष हो गये हैं परन्तु आज भी मास्को में लोगों के पास घर नहीं हैं, पर्याप्त कपड़ नहीं हैं और रोटी के लिये वहां पहले से भी लम्बी लाइनें लगती हैं। वही गलत प्राथमिकतायें इस देश पर लगती हैं। लादी जा रही हैं। इन कारणों से स्वतंत्र दल इस वित्त विधेयक के विरोध में मतदान करेगा।

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : जबसे वित्त मंत्री ने अपना वर्तमान कार्यभार संभाला है, भारतीय अर्थव्यवस्था गतिशील बन गई है। हमें उनकी योग्यता में पूर्ण विश्वास है। उन्हें स्वतंत्र पार्टी के सदस्यों की बातों से भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये। भारतीय जनता में अब जागृति पैदा हो गई है और ये लोग अधिक देर तक इस सभा के सदस्य के रूप में नहीं बने रह सकते। भारत में अधिकांश लोग गरीब हैं और उनकी मूल आवश्कताओं को पूरा करना बहुत जरूरी है। समाजवादी व्यवस्था में सबसे महत्व-पूर्ण बात यह है कि उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर समाज का नियंत्रण होना चाहिये। प्रजातंत्रीय समाज में हम साम्यवादी देशों की तरह बल का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोगों की सहमति प्राप्त करके तथा अन्य प्रजातंत्रीय तरीकों से ही काम ले सकते हैं। यह बहुत कठिन कार्य है। सरकार कृषि उत्पादन के कार्य को अपने हाथ में नहीं ले सकती है। स्वतंत्र पार्टी के लोग निर्वाचन के समय सहकारी खेती को सरकारी खेती बताकर लोगों को बता रहे थे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये हमें कोई ऐसा तरीका अपनाना है जिससे हमारी आवश्यकतायें पूरी हो सकें। अन्न उत्पादन के मामले में हमारी स्थिति चिंताजनक है। हम प्रति वर्ष १२५ करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के अनाज का आयात कर रहे हैं। हम अनिश्चित काल के लिये विदेशों, पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। अतः हमें एक योजना बनानी चाहिये कि उस राशि में से २५ या ३० करोड़ रुपया कृषकों की सहायता पर खर्च किया जायेगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और देश की मांग को पूरा किया जा सके। सरकार को कृषकों की आवश्कताओं को समय पर पूरा करना चाहिये। जब देश में अन्न की कमी है तो सरकार को कृषकों की सहायता करने के लिये धन की व्यवस्था करनी ही चाहिये। सरकार यह कहने की स्थिति में नहीं है कि दस वर्षों में अन्न की कमी दूर हो जायेगी क्योंकि हमें प्रकृति पर निर्भर करना पड़ता है। उद्योगों पर जो कर लगाये गये हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं परन्तु श्रमिक वर्ग को ऊंचा उठाने के लिये हमें अवश्य कोई कार्यवाही करनी चाहिये। कम आमदनी वाले लोगों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। इन लोगों को जो मजूरी मिलती है वह पर्याप्त नहीं है क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ गये हैं। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिये इन लोगों की दशा सुधारना बहुत जरूरी है। श्रमिक अधिक देर तक चुप नहीं बैठ सकते। इस समस्या का समाधान यही है कि कृषकों को राज सहायता दी जाये और श्रमिकों को कम दामों पर उनकी दैनिक आवश्यकताएं उपलब्ध की जायें। गन्ने की कीमतें निर्धारित करने के लिये जो फार्मूला अपनाया गया है, इससे गन्ना उत्पादन को अधिक अच्छी किस्म का गन्ना पैदा करने के लिये प्रोत्साहन नही मिलता। यदि समय पर गन्ने के मूल्य बढ़ा दिये जाते तो

देश में चीनी की कमी महसूस न की जाती और सरकार को उत्पादन शुल्क के रूप में हानि भी न उठानी पड़ती। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ऐसा वातावरण पैदा करे जिससे कृषकों को यह महसूस हो कि सरकार उनको प्रोत्साहन दे रही है।

सरकारी उपक्रमों में प्रबंधकों तथा कर्मचारियों के सम्बध बहुत खराब हैं। उनका प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। इस मामले की जांच की जानी चाहिये। मैं किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के खिलाफ नहीं हूं। यदि ऐसा करना जरूरी है तो यह अवश्य किया जाना चाहिये। परन्तु सरकारी उपक्रमों में इस समय जो वातावरण है उससे श्रमिक लोग संतुष्ट नहीं हैं। अतः किसी अन्य उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने से पहले हमें वर्तमान सरकारी उपक्रमों के प्रशासन में सुधार करना चाहिये और श्रम सम्बधी नियमों को उदार बनाना चाहिये ताकि श्रमिकों को रुचि से काम करने के लिये प्रोत्साहन मिल सके।

श्री मा० ल० जाधव : (मालेगांव) : वित्त मंत्री ने कुछ छोटी छोटी रियासतों तथा एकाधिकार आयोग की नियुक्ति की घोषणा करके यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार देश में समाजवाद लाना चाहती है।

क्षेत्रीय परिषदें प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर रही हैं। मैसूर तथा महाराष्ट्र में काफी समय से कुछ इलाकों के बारे में विवाद चल रहा है। क्षेत्रीय परिषद इस मामले में कोई निर्णय करने में असमर्थ है। इससे विवादास्पद इलाकों के लोगों में मनमुटाव पैदा हो गया है। अतः सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये ताकि इस समस्या को हल किया जा सके और इन क्षेत्रों के लोग शांति से रह सकें। सरकार को सीमान्त राज्यों के सीमा विवादों के बारे में भी शीघ्र ही निर्णय करना चाहिये। कुछ राज्यों में जल विवाद काफी समय से अनिर्णीत पड़े हैं। सरकार को इन मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिये ताकि इन राज्यों के बीच उचित समझौता हो सके।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के होते हुए भी हम अनाज के अनुचित संग्रह तथा मुनाफाखोरी को नहीं रोक सके हैं। गेहू और चावल की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं अतः सरकार को विधि को सख्ती से लागू करना चाहिये ताकि जनसाधारण को अपना जीवन निर्वाह करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हो प्रशासन से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिये। देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये सरकार बहुत अधिक प्रयत्न करने होंगे। हमें देश में एसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिससे कि जनसाधारण को यह महसूस हो सके कि कानून की दृष्टि में सब समान हैं।

पूर्वी पाकिस्तान सेअवैध रूप से आये मुसलमानों को भारत से निकालने के लिये संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिये क्योंकि उनके भारत में रहने से देश को खतरा हो सकता है।

कुछ राज्यों ने अपनी मद्यनिषेद नीति को उदार बना दिया है। यदि सरकार वास्तव में मद्यनिषेध लागू करना चाहती है तो उसे समूचे भारत के लिये एक अखिल भारतीय नीति बनानी चाहिये और उसे सारे देश पर लागू करना चाहिये।

न्यायपालिका की दृष्टि से मैं यह अनुभव करता हूं कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय गृह कार्य मंत्रालय के साथ रहने के बजाये विधि मंत्रालय के पास होने चाहिये। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश ने भी यही मत प्रगट किया है।

आज देश में आपातकालीन स्थिति है परन्तु इसे प्रत्येक स्तर पर महसूस किया जाना चाहिये। सरकारी विभागों में यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि प्रत्येक प्रकार की फिजूल खर्ची को रोका जाना चाहिये। जितनी बचत हो सके करनी चाहिये और खाद्यान्नों के मामले में आत्म निर्भर होने का प्रयत्न करना चाहिये। और इस मामले में अपने ही साधनों और प्रयत्नों पर आश्रित रहना चाहिये किसानों को ट्रैक्टर दिये जाने चाहिये। सब्जी की किस्म में सुधार करने के लिए आलू का बीज विदेशों से मंगाया जाना चाहिये। जो बीज शिमले से प्राप्त हुआ वह अच्छी किस्म का नहीं था, अतः उससे किसानों को काफी हानि हुई।

इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान कृषि के सम्बंध में अनुसंधान करने के लिए कहना चाहता हूं। कृषि संबंधी उचित अनुसंधान होना चाहिए ताकि फसल को नष्ट करने वाले रोग समाप्त किये जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अल्वारेस (पंजिम): इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश के उत्पादन में कमी हुई है। विशेष रूप से कृषि उत्पादन बहुत कम हुआ हैं। दुर्भाग्य की बात है कि निकट के समाजवादी देशों का पूरा अनुभव होते हुए भी हमारे नीति निर्धारित करने वाले महानुभावों ने वही पुरानी भूल की है उन्होंने औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई हैं। उन्होंने रूस तथा अन्य देशों से कोई सबक लेने का प्रयत्न नहीं किया। रूस में भी आज कृषि उत्पादन के मामले में संकट की सी स्थिति अनुभव हो रही है। मेरा विचार था कि सरकार इससे कुछ शिक्षा लेते हुए वित्त विधेयक में इस कमी को पूरा करने की दिशा में कुछ व्यवस्था करेगी।

पिछले कई वर्षों से हम औसतन २८५ करोड़ रुपये का अनाज बाहर से मंगवाते रहे हैं। इससे हमारे साधनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। लोगों में इस प्रकार की निराशा फैल रही है कि काफी योग्यता शिक्षा और अनुभव होते हुए भी हम अपनी जरूरतों के लिए उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। इस संकट के अतिरिक्त इसका प्रभाव विदेश विनिमय पर भी पड़ता है। अतः मेरा निवदन है कि सरकार को सर्वाधिक ध्यान खेती के विकास पर देना चाहिये ताकि देश की मूल अर्थ व्यवस्था का आधार दृढ़ हो। खाद्यान्न का निरन्तर आयात करने से केवल संसाधनों का ही व्यय नहीं होता है, बल्कि इसने देश में किसानों को भी हतोत्साहित कर दिया है। देहाती उद्योग और सहकारी औद्योगिक उपक्रम खोलकर संस्थात्मक विकास करने की आवश्यकता है जिससे कि हमारे देश की अधिकतर जनता औद्योगिक उत्पादन में भाग ले सके। इस दृष्टि से देहाती लोगों को खेती और उद्योग संबंधी दोनों तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके न होने तक, देश का विकस अपूर्ण रहेगा। सरकार को संस्थात्मक विकास पर जोर देना चाहिये जिससे सामाजिक परिवर्तन हो सकता है।

[**श्री तिरुमलराव** पीठासीन हुए]

[**Shri Thirumala Rao** in the Chair]

इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि नागरिक और ग्रामीण विकास साथ साथ होना चाहिये। इस बारे में दुर्भाग्यवश, सरकार के काम के संबंध में अच्छा अनुभव नहीं हुआ है। ग्रामीण कार्य प्रोग्राम एक अच्छा विकास है जहां तक इसका संबंध १५० करोड़ रु० लगाकर रोजगार देने का संबंध है लेकिन तीसरी योजना के पहले तीन वर्षोंमें केवल ६करोड़ रुपये प्रयोग किये गये हैं। दुःख की बात है कि सरकारी क्षेत्र में आशानुसार काम नहीं हुआ है। भूतकाल में इसके काम का ध्यान रखकर हमें यह विचार करना है कि क्या सरकारी क्षेत्र का और विस्तार करना उचित है

या नहीं। योजना के अंतिम वर्ष में सरकारी क्षेत्र के विस्तार पर रोक लगाई जानी चाहिए ताकि हम अपनी सारी शक्ति सरकारी उपक्रमां की कार्य कुशलता बढ़ाने में लगा सकें और उनमें पूरा उत्पादन आरम्भ कर सकें। वित्त मंत्री ने जो छूट दी है उससे देश की पूंजी के आधार पर गैर सरकारी क्षेत्र का प्रभाव बढ़ेगा। मेरा विचार है कि सरकार को चाहिये कि गैर सरकारी क्षेत्र में सभी लाभांशों पर ५ प्रतिशत रोक लगा दे और इस प्रकार प्राप्त होने वाले धन को सरकारी एजेंसियों द्वारा निवेश करे। देश में विदेशी पूंजी लाने के बजाय, हमें अपने देश में कुछ उपलब्ध संसाधनों का पता लगाना चाहिए। मंत्री महोदय को चलार्थ का विमुद्रीकरण करने पर विचार करना चाहिव ताकि सारा छिपा धन सरकार को प्राप्त हो जाये।

Shrimati Jamunadevi (Jhabua): I support the Finance Bill, but at the sametime, I would like to express my opinion regarding that the budget of 1964—65 is just like a flavour in the Mughal Gardens, full of imaginations for the future welfare of the country. Taxes are raised. it is said in the interest of thepeople. In this connection I may state that the Government should see that the amounts sanctioned for the development and other works were made available to the spending agencies in proper time. Situation today is that for the whole year the amounts remain unspent and toward the end of the year *i.e.* near about 31st March efforts are made to spend them that also in hurried matter. In this way the tax payers money is not properly used. I urge upon the Government that the misuse of the tax payer's money should not be done.

Today the poor people of our country find themselves in very miserable conditions due to the heavy taxes, but we are giving huge salaries to the Government officials. I also urge that the privy purses of the ex-ruler and the huge salaries of the officials should be curtailed. By doing this considerable savings could be effected and some relief in taxes could be given. The economic condition of the large number of people living in the villages is very miserable. Pity is that it had not been possible to provide them even with bare necessities to them. Until and unless their conditions improved, there is no use talking about the progress of the country. The whole thing becomes meaningless.

The prices of food-grair are very high, the efforts should be made to bring the prices down. This is a very important matter, the Government should pay immediate attention to the matter.

I would like to draw the attention of the Government towards the problems of the adivasis. It is really regrettable that the adivasis had remeained as neglected as ever. Nothing has been done so far in this connection. No steps had been taken to improve conditions regarding water supply, health and the other essential things in the areas of the adiviasies. In certain parts of the Madhya Pradesh people still use the water from the dirty ponds for drinking purposes. All those things were being made use of by the opposition parties for doing propaganda against the party in power. These parties are very badly exploiting the adivasis.

I would like to urge upon the Government that a special plan should be formulated for the development of the adivasis and some concrete steps should be taken in that direction the attitude of the officials was far from satisfactory. The Government should pay immediate attention to that matter. The special

officer should also be appointed for this purposes, who may be really interested in the welfare of the adivasis. By paying the special attention to this serious problem, Government should declare that the efforts will be made in this direction and see that within a particular time limit the condition of the people would improve.

The requisite attention towards the health of the people is not being paid. Condition in rural areas are very deplorable, I submit that the health of the people in the rural areas should be properly taken care of the primary health centres are there but they should be equipped with proper staff and medicines. Health Ministry Should try that people should get unadulterated food.

दूसरे अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन की तैयारी सम्बन्धी बैठक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *re* : PREPARATORY MEETING FOR SECOND AFRO-ASIAN CONFERENCE

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जकार्ता में हाल में मंत्रियों की बैठक हुई थी इसमें दूसरी अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के स्थान, समय, विषयसूची और गठन के बारे में चर्चा हुई। इन सभी मामलों पर कान्फ्रेंस के गठन के प्रश्न पर कुछ मतभेद को छोड़कर, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के विचारानुसार निश्चय हुए।

सभा के बारे में हमने प्रस्ताव किया था कि दूसरी अफ्रीकी-एशियाई कान्फ्रेंस अप्रैल, १९६५ में हो जब कि बान्डुग कान्फ्रेंस की दसवीं वर्ष गांठ होगी। चूंकि कुछ देशों के लिए अप्रैल, का महीना सुविधाजनक न था, यह निश्चय किया गया कि कान्फ्रेंस १० मार्च, १९६५ को हो।

भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का दूसरा प्रस्ताव यह था कि कान्फ्रेंस अफ्रीका में हो और यह भी बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। कान्फ्रेंस किस देश में होगी इसके बारे में निश्चय की घोषणा अगले दो, तीन सप्ताह में होने की आशा है।

विषय सूची के बारे में, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के विचार, कान्फ्रेंस ने कुछ साधारण परिवर्तन करके स्वीकार कर लिये।

कान्फ्रेंस के गठन के संबंध में, उन देशों को छोड़कर जिनके बारे में कोई मतभेद नहीं है, भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने विशेष रूप से प्रस्ताव किया कि मलेशिया और रूस को आमन्त्रित किया जाय। मलेशिया के बारे में बैठक में आशा व्यक्त की गयी कि वह अड़चन जो सामान्य सहमति प्राप्त करने में बाधक है, समाप्त हो जायेगी और यथा संभव आमन्त्रण भेजा जायेगा। रूस को आमन्त्रित करने के भारतीय प्रस्ताव पर, बैठक अन्तिम निर्णय नहीं कर सकी। बैठक की अन्तिम विज्ञप्ति में हमारा यह विचार सम्मिलित कर लिया गया है कि शिखर सम्मेलन होने पर, यह प्रश्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा निश्चित किया जाय।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा दिये गये आरम्भिक वक्तव्य का पाठ, अगले अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन में रूस के भाग लेने के प्रश्न पर दिये गये भाषण का पाठ, दूसरी अफ्रीकी-एशियाई सम्मेलन के प्रारम्भिक सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं निम्नलिखित की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा दिए गये आरम्भिक वक्तव्य का पाठ।

(२) अगले अफ़्रीकी–एशियाई सम्मेलन में रुस के भाग लेने के प्रश्न पर दिये गये भाषण का पाठ ।

(३) अफ़्रीकी-एशियाई सम्मेलन के प्रारम्भिक सम्मेलन की अन्तिम विज्ञप्ति ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २७३९/६४, २७४०/६४, २०४१/६४ **तथा** २७४२/६४]

दूसरी अफरीकी एशियाई-सम्मेलन की तैयारी सम्बन्धी बैठक के बारे में वक्तव्य—**जारी**

STATEMENT *RE.* PREPARATORY MEETING FOR SECOND AFROASIAN CONFERENCE—*contd.*

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सम्मेलन में चीनी शिष्ट मंडल ने भारतीय शिष्ट मंडल के साथ कोई बन्धु भावना स्थापित करने का प्रयत्न किया ?

श्री स्वर्ण सिंह : कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। चीनी शिष्टमंडल को इस बात का पता था कि हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं।

श्री बड़े : मलेशिया के सम्मेलन में आने का क्यों विरध किया गया।

श्री स्वर्ण सिंह : चीन और इंडोनेशिया ने यह विरोध किया था। पाकिस्तान ने भी इसका समर्थन नहीं किया जिसके कि मलेशिया के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध कायम है। यह हमारे लिए वैसे भी बड़ी निराशा की बात थी।

वित्त विधेयक—**जारी**

श्री ल० ना० भंजदेव (क्योंझर) : मैं वित्त मंत्री को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने विदेशी पूंजी के लिए अच्छा मैदान तैयार कर दिया है। अब बाहर से लोग आकर अपनी पूंजी यहां लगा सकते हैं। ऐसा वातावरण भी निर्माण किया जाना चाहिए कि यहां के लोग भी अधिक पूंजी लगाने में रुची दिखाये।

[श्री ल० न० भंजदेव]

मध्यम वर्ग के लोगों पर बहुत अधिक भार है। यह ठीक है कि अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी गयी है, परन्तु अच्छा होता यदि जमा किया हुआ रुपया खातेदारों को वापिस कर दिया जाता, चाहे वह नकद दिया जाता अथवा बांड दिये जाते। उन्हें यह भी अधिकार होता कि वे उन बांडों को यदि चाहते तो किसी को दे भी सकते थे। वैसे भी मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह मध्यम वर्ग लोगों की कठिनाइयों को देखें और उनके लिए कुछ करे। लोग पूंजी लगाये इसके लिए भी वातवरण निर्माण किया जाना चाहिए।

मैं सरकार की नीति को बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री ने अनौपचारिक सलाहकार समिति से कहा था कि निर्यात मेंगेनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिए विनियम व्यापार किया जायेगा। दूसरी और इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री का कथन है कि वे विनिमय व्यापार नहीं करेंगे क्योंकि उससे कालाबाजारी को बल मिलता है। ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल को सामूहिक नीति बनानी चाहिये।

स्टेटसमैन के अनुसार गतवर्ष मूल्यों में ३० प्रतिशत वृद्धि हुई है। जब तक इसे नहीं रोका जाता हम भले ही धन की दृष्टि लाभ की प्राप्ति कर लें वास्तविक विकास नहीं होगा।

परिवहन की स्थिति यह है कि पिछले कई वर्ष से इस पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर केन्द्र टथा राज्यों द्वारा लगाया जा रहा है। परिवहन का योजना के अनुकूल विकास होना चाहिये और अमरीका की तरह यहां भी विभिन्न राज्यों का अन्तर्राज्यिक आयोग बनाना चाहिये जिसमें परिवहन उद्योग और केन्द्रीय सरकार का भी प्रतिनिधित्व हो। इस से गत्यावरोध समाप्त करके परिवहन की सारी अर्थ-व्यवस्था का विकास हो सकेगा।

ट्रकों के ५०,००० चेसिसों का निर्माण किया जा रहा है किन्तु वह पर्याप्त नहीं है। कार कभी विलास की वस्तु थी किन्तु अब वह आवश्यकता वन गई है। अतः सस्तीकार का निर्माण आवश्यक हो गया है।

पेट्रोल और पेट्रोलियम की वस्तुओं से सरकार को बहुत अधिक लाभ हुआ है। उसका कुछ भाग उपभोक्ता को भी मिलना चाहिये ताकि उसकी कीमत में कमी का उसे भी लाभ हो।

हमने विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन तो दिया है किन्तु यह भी देखना चाहिये कि देश के पूंजी निवेश के लिए भी प्रोत्साहन है या नहीं।

यहां अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
(**Mr. Deputy-Speaker** in the chair)

यदि हम निगम क्षत्र में अधिकाधिक पूंजी निवेश हो तो उसे अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। मुझे आशा है कि इस बजट से निगम क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों को सहायता मिलेगी और उनका विकास होगा ?

Shri Bade (Khargaon): The question is whether new taxes should be levied or not? Shri Masani has said that very much over budgeting is being done. The 22nd report of the Estimates Committee, states that:

१९६१–६२ में पहले के दो वर्षों की तुलना में अनुमित राजस्व से वास्तविक खर्च अधिक रहा है और पूंजीगत खर्च में कमी रही है।

Under such circumstances it appears that even in the current budget there is over estimation and that is the cause of taxation. The most acute problem in the country is of starvation and Shri Daji and Shrimati Yamuna Devi can bear me out because they come of Madhya Pradesh where the tribal people are starving and in the elections they have tried to change their masters by electing the Jan Sangh in a great number. So we have to see whether the budget is going to relieve the people of this slarvation. People get 13 yards of cloth where as they need 23 yards of cloth. Similarly they are half-fed and under employed. This finance bill carries us no where.

There is no indication that poor peasants would get any thing. The finance bill should be examined on these tests such as :—

(१) क्या इस से मुद्रास्फीति रुकेगी।

(२) क्या उत्पादन बढ़ेगा ;

(३) क्या जीवन स्तर उठेगा ?

The Government should see that there is a balance in the public sector and the private sector. The extremist views of the Communists and the Swatantra do not provide the remedy. The middle class was somewhat relieved due to the withdrawal of Gold Control order and C. D. S. but they have been burdened with the expenditure tax. We hoped that Shri T.T.K. would give some relief but we had to face disappointment.

The present Finance Minister cannot absolve himself from the criticism which was levelled against the ex-Finance Minister because no relief has been given to the poor class in the form of removing taxes from Kerosene oil and other such commodities. As a matter of fact श्री मोरारजी देसाई ने जो बोया था उसे श्री टी० टी० के काट रहे हैं।

The Government should also see whether these high taxes are extending any benefits to the people. The corruption and over expenditure show that they are not being benefited.

१९५७ में रूस से ईंटें बनाने वाली मशीन खरीदी गई थी किन्तु वह अभी तक बेकार पड़ी है।

In this way the public finances are being wasted. A writer has said that

मुद्रास्फीति के रोके बिना हम मूल्यों की वृद्धि को नहीं रोक सकते।

This country is a land of farmers but no provisions have been made for the farmers. The Government must check inflamation. Currency notes are being printed in such a great number that the inflamation is not going to be remedied.

The foodgrain control order has created many difficulties for the dealers. Many of them are illiterate and they cannot maintain quarterly accounts. They are not purchasing grains and on account of that the peasants are facing trouble. Government should pay attention to this situation.

The yarn, soap and jute production should be exempted from taxes. Improvement for six months provided in the bill, for tax evasion is not proper because it restrains the Magistrate not to award punishment for more than six months. The provision for the secrecy of documents is not proper.

A Finance Minister should be retained for a pretty long period of 4 or 5 years so that he can implement his policy. Here T.T.K. has retained the evils of the taxation proposals of Shri Morarji Desai and has also added to those.

I oppose the Finance Bill and especially the expenditure tax.

डा० श्रीनिवासन (मद्रास उत्तर): मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने मद्रास नगर को ए श्रेणी में रख दिया है। किन्तु वहां के राज्य कर्मचारियों में यह बहुत कटुता कि वहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक भत्ता मिलता है जब कि उन्हें उन से कम भत्ता मिलता है। मेरा विचार है कि वे इस प्रश्न पर विचार के लिए आयोग नियुक्त कर रहे हैं। इस आयोग के पद निर्देश में यह भी शामिल करना चाहिये कि वह पता लगाये कि मद्रास सरकार को कितनी सहायता देनी होगी जिस से वह अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर भत्ता दे सके।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि को वापस लेने की अनुमति दी जाए इस से बढ़ते हुए मूल्यों की स्थिति में कर्मचारियों को राहत मिलेगी और न केवल मद्रास बल्कि सारे भारत में लोग वित्त मंत्री के आभारी होंगे।

सम्पदा शुल्क की दरें पहले ५०,००० रुपये के लिए तो पुरानी ८ प्रतिशत ही हैं कि १,००,००० रुपये के लिए ६ प्रतिशत के स्थान पर ८ प्रतिशत और १,५०,००० रुपये के लिए १० प्रतिशत के स्थान पर १५ प्रतिशत कर दी गई। इस से अधिक सम्पदा के लिए आप चाहे जितनी भी दरें रखें वे समाजवाद के लक्ष्य के अनुकूल हैं किन्तु १,५०,००० रुपये तक की सम्पदा मध्य वर्ग की है और उसका शुल्क बढ़ाना नहीं चाहिये।

आपात काल में श्री मोरारजी देसाई ने सभी प्रकार की वस्तुओं पर कर लगा दिया था और अब भी मध्य वर्ग तथा निम्न वर्ग को कोई राहत नहीं दी गई। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री गरीब जनता की ओर ध्यान देंगे और मिट्टी के तेल पर कर कम कर देना चाहिये। विदेशी मुद्रा की कमी का प्रश्न अवश्य है कि उन्हें गरीबों के प्रति कुछ सद्भावना दिखाएं। मैं इस कारण से इस पर बल दे रहा हूं कि पहले गरीब व्यक्ति का दिया ६ पैसे में रात के दस बजे तक जलता था किन्तु अब वह ७-३० या ८-३० ही बुझ जाता है। अतः माननीय मंत्री से निवेदन है कि वे इन लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाएं।

मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि उन्हें सोने का मूल्य ६५ से ७० रुपये तक कर देना चाहिये। इससे सोने का तस्कर व्यापार बन्द होगा इस समय यहां सोना ११० रुपये तक बिक रहा है। क्या हम तस्कर व्यापार को रोक सके हैं? वास्तव में तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई है।

कहा जाता है कि २००० से ४००० करोड़ रुपये तक लोगों के पास काले बाजार का धन है। उसे प्राप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। मेरा सुझाव है कि सरकार घोषित कर दे कि कालाबाजार वाले लोग यदि वह धन दे दें तो उन्हें कर में २५ प्रतिशत की कटौती दी जायेगी।

कागजी मुद्रा को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिये। बैंक के कर्मचारी भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सी मुद्रा वास्तविक है और कौन सी जाली।

मैं मद्रास नगर में जल के अभाव के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि गुल्हाटी आयोग की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि १५ टी० एस० सी० जल दिया जायेगा कि साल भर हो गया, पानी की व्यवस्था नहीं की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि यदि चौथाई या आधा प्रतिशत बजट पानी संभरण के लिए नियत किया जाए तो जलसंभरण की समस्या हल हो जाएगी। अतः माननीय वित्त मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिये।

Shri Ram Swarup (Robertsganj) Due to long subjugation under the Foreign rulers our economic structure is such that the masses are poor and the economic power is in the hands of a few who have also influence in the Government.

Setting up of a Monopoly Commission is a welcomed measure but it is inadequate for achieving the socialism. Whatever laws are framed for bringing socialism are not implemented by the administration so there is no progress in that direction.

While constructing Rihand Dam, more than 100 villages of Mirzapur and Madhya Pradesh were ruined and the people displaced from there were given patty amount of compensation. This is a defective planning because while working out a plan proper care should be taken regarding the effects of the plan.

The tribal people of Mirzapur should be declared scheduled tribes and they should be given all facilities and assistance which is provided to the scheduled tribes.

Mirzapur district is not connected with the northern districts of U.P. I request that provision should be made to construct a bridge over the Ganges so as to connect Mirzapur with northern districts.

The Community development programme is not properly implemented in our district. Grants for construction of wells etc. is much delayed. The illiterate people cannot procure vouchers and the officers entice them to prepare counterfeit vouchers and share the gains with them.

[Shri Ram Swarup]

A lot of amount is misappropriated in the big projects and if check were imposed on it greater achievements could be made.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): The more the number of laws we enact, the more corruption we find. It seems the Government acts in collusion with the corrupt people. When controls and other taxation measures were imposed during the British regime, the inspectors and other Government officials amassed huge sums by unfair means but nobody took notice of that. After independence our Government inherited the same methods. Strange measures are adopted today, such as Gur Control Order and the other ones. Under the said Order the movement of Gur from out of U.P. was banned, with the result, that the police sub-inspectors and other people earned lakhs of rupees. These amounts are not accounted for, and hence nobody can check them. Similarly, the sales tax laws have been enacted in such a faulty manner that they inspire people to evade them and go scot-free. According to the new amendment proposed to this law the businessmen's secrets shall be made public. Even small businessmen are covered under this amendment. This will lead to further harassment of the small businessmen and nothing more. Income-tax worth crores of rupees is evaded. The Government try to remedy this situation only by enacting stricter measures. No body tries to get at the root of this problem. The Government should set up a separate department which may conduct a research regarding the methods applied for evading the taxes, and suggest remedies.

Now I want to tell you how the Government itself exploits three and a half lakhs of these people, whose income ranges between 5,000 and 10,000 rupees. Such people have to pay the charges of the income or sales tax practitioners whose assistance they must seek, in addition to the due tax. Apart ftom this the amounts of tax are enhanced by a half or by a quarter on the plea that they did not keep their accounts in a proper manner. This is something highly objectionable.

The probe of the team of tax experts from the U.S.A. shows that dodgers are increasing, and that the transport operators, shopkeepers, film stars, lawyers, doctors, and certain other professionals are the people who evade tax in India. Our Government have failed to check tax-evasion so far as the above enumerated categories are concerned. The businessmen are often compelled to pay more arbitrarily, but doctors and lawyers and others are not brought to book. Therefore, all these categories should not be treated at par. Some effective methods should be devised to realise tax from such people. The present method of fixing District-wise income tax targets, and of compelling the people to pay more in case those targets are not achieved, is faulty and unjustful.

Talk of small scale and cottage industries is useless, because our Government want to increase its revenues by centralisation. It is, in fact, not interested in decentralisation.

The present policy of indirect taxation, and of imposing taxes on consumer goods, will not let the prices come down.

So far as agricultural production is concerned we should scrap all these departments which have no utility. The revenues received as direct taxes should be earmarked for the weaker sections of the society. This will also have a very wholesome effect on the tax-payers.

A few days back, the Rajasthan High Court gave a judgment that the royalty on minerals shall be capital expenditure, as a result of which the whole economy will be unsettled. The people will have to face hardships. Frequent changes in the financial policies lead to a sense of insecurity. We should try to remove that sense of insecurity.

We have failed to take proper action against the corrupt income tax officers. Even we have not been able to determine who are honest and who are not. If there is a corrupt officer, at the most he is transferred to some other place. Some of the income-tax officers have amassed huge sums by unfair means and still they cannot be brought to book.

Now I will refer to the limited companies in the private sector. There is lack of a uniform approach. There is no co-ordination among different departments. The reports of the various departments contradict each other. It has affected the financial set up adversely. Disputes regarding bonus will upset the business of the small business houses. The legislation that we enact should provide adepuate protection to small, medium and big business companies.

It is difficult to check tax-evation unless we change our methods radically, and also unless we give proper relief to the people of small income group.

Shrimati Kamala Choudhury (Hapur) : I have received various letters from the people regarding the Budget proposals presented by the hon. Finance Minister. The people feel that the Finance Minister should have given more relief by way of raising the income-tax slab from 3600 to 4800. Today, when the prices are soaring high it is difficult even for a person earning 500 rupees a month to make his both ends meet. Adulterated milk is selling at the rate of 90 nP. per kilo, and the sugar is selling in Black market.

Proper irrigation facilities are not available to the farmers. Mill-owners are leading a luxurious life. They are getting richer and richer, whereas a labourer cannot fill his belly two times a day. Their demand for increase in the dearness allowance has not been met. The Government employees have expressed a sense of relief at the withdrawal of the C.D. Scheme, but they want that amounts deposited by them should be given back forthwith. Only the big capitalists should be made to pay more in the shape of taxes and levies. Steps should be taken to reduce the huge administrative expenses. The hon. Minister should streamline the administration and remove the prevalent red-tapism. I welcome the steps taken by the hon. Minister to realise income-tax.

The hon. Minister is not justified in imposing Estate Duty in certain cases. If a man leaves behind him his property and also a number of minor and young children, either they should be given free education and other required facilities or they should not be subjected to estate duty.

With these words I support the Bill.

Shri Bishwanath Ray(Deoria):The masses of this country welcomed the Industrial Policy and the decision to establish a socialistic pattern of Society, with the hope that their economic lot would improve. But today we find that all the benefits have gone to the big industrialists and capitalists and the plight of wage-earners, farmers and middle-class people remains as deplorable as ever. There is concentration of wealth in the hands of the 5 per cent people, and the remaining 95 per cent people, who have put their best efforts to increase production, remain where they were.

[Shri Bishwanath Ray]

We have to remove the monopolies and the concentration of wealth in this country and also to see that the disparities are gone. A monopolies Commission has been constituted with this end in view. There are experts and experienced people on this Commission, but there is nobody who may have been inspired by ideals of socialistic pattern of society.

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए।
Shri Thirumal Rao in the Chair]

We should change our policies which have led to concentration of wealth. The problem is not only of removing concentration of wealth, but also of distributing our national income properly. The incomes of the lower and middle income groups have not increased, even after implementation of the three five year plans. One of the many reasons for this is ; that the policy of the Government in regard to giving loans for small scale industries is faulty. The Industrial Finance Corporation and the life Insurance Corporation should give loans in such a way that the benefit therefrom accrues to the common men.

Shri Kachhavaiya (Dewas) : There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : एक माननीय सदस्य तो गणपूर्ति का प्रश्न उठाते हैं और उन्हीं के दल के एक अन्य सदस्य सभा से उठ कर बाहर चले जाते हैं। यह बात अनुचित है। सभी दलों को गणपूर्ति रखने में सहयोग देना चाहिए। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वह ६ बजे तक सभा से उठ कर बाहर न जायें।

Shri Bishwanath Ray : Adequate measures have not been taken to improve the economic lot of the rural people. In order to achieve this end, the Government should resort to state trading in foodgrains. The banks should be nationalised. It is wrong on the part of the Deputy Chairman of the Planning, Commission to declare that nationalisation of banks will not be conducive to national interests. The fact is just the reverse of it.

The people who take loans from the L.I.C. and the Finance Corporation should be made to pay the same back within the stipulated period. The more amounts should be invested for starting industries in the public sector. Foreign investment should also be utilised in the public sector.

The Planning Commission should be realistic in formulating plans. It should look at problems from a practical point of view.

श्री राजाराम (कृष्णागिरी) : आवश्यक वस्तुओं के मूल्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। यदि सरकार ने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन न बढ़ाया तो इनके मूल्यों को बढ़ने से नहीं रोका जा सकेगा। मूल्यों के बढ़ने का एक कारण परोक्ष करारोपण संबंधी नीति भी है। वर्ष १९४८–४९ में परोक्ष कर ३६२ करोड़ रुपये के थे जब कि वर्ष १९६२–६३ में यह बढ़ कर १३३४ करोड़ रुपये हो गये। उन के मुकाबले में प्रत्यक्ष कर इतने नहीं बढ़े हैं। इस प्रकार की नीति से देश के जन साधारण का बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मद्रास में चावल का मूल्य २ रुपये प्रतिकिलोग्राम है और इसी तरह

ईंधन के मूल्य भी बढ़ रहे हैं। सरकार को चाहिये कि उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में जन-साधारण को राहत पहुंचायें, अन्यथा देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ जायेगी।

स्वर्ण नियंत्रण आदेश से कोई लाभ नहीं हुआ। [illegible] में वृद्धि हुई है। इसलिये इस आदेश को [illegible] ले लेना चाहिए।

स्वास्थ्य के सिलसिले में भी हमारे देश की अवस्था बहुत खराब है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक होसूर नामक स्थान है, जहां पर हैज़ा, बहुत भीषण रूप में फैलता है। प्रत्येक वर्ष कई मौतें हैजे से हो जाती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाये।

देश में इस्पात के उत्पादन के लिये कई संयंत्र स्थापित किये गये हैं परन्तु सलेम के लोहे संयंत्र की नींव भी नहीं रखी गयी हालांकि मेरे दल ने कई बार इस की ओर ध्यान दिलाया है। इसीलिये दक्षिण भारतीय महसूस करते हैं कि उन की उपेक्षा की जाती है।

श्री रघुनाथ सिंह (बाराणसी): सभी संयंत्र दक्षिण भारत में स्थित हैं।

श्री राजा राम: कौन सा आयोग आप ने स्थापित किया है ?

सभापति महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, १८ अप्रैल, १९६४/चैत्र २९, १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Satuday, the 18th Apil, 1964/Chaitra 29, 1886 (Saka).

GMGIPND--LSIII--625(ai)LS--7-7-64--600